वार्षिक रिपोर्ट

4th ANNUAL REPORT

2023-24

टुस्को लिमिटेड

TUSCO LIMITED

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं यूपीनेडा का संयुक्त उपक्रम)

(A Joint Venture of THDC India Limited & UPNEDA)

(CIN : U40106UP2020GOI134504)

टुस्को लिमिटेड के 600 मेगावाट
अल्ट्रामेगा सोलर पावर पार्क, झाँसी

का शिलान्यास

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ।

-गरिमामयी उपस्थिति-

श्रीमती आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री राजनाथ सिंह
केन्द्रीय रक्षा मंत्री

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
केन्द्रीय राज्य मंत्री,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्री जवाहर लाल राजपूत
विधायक, विधानसभा क्षेत्र-गरौठा

झाँसी, उत्तर प्रदेश
शुक्रवार, 19 नवम्बर, 2021

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 19 नवंबर, 2021 को
600 मेगावाट झांसी सौर परियोजना का शिलान्यास

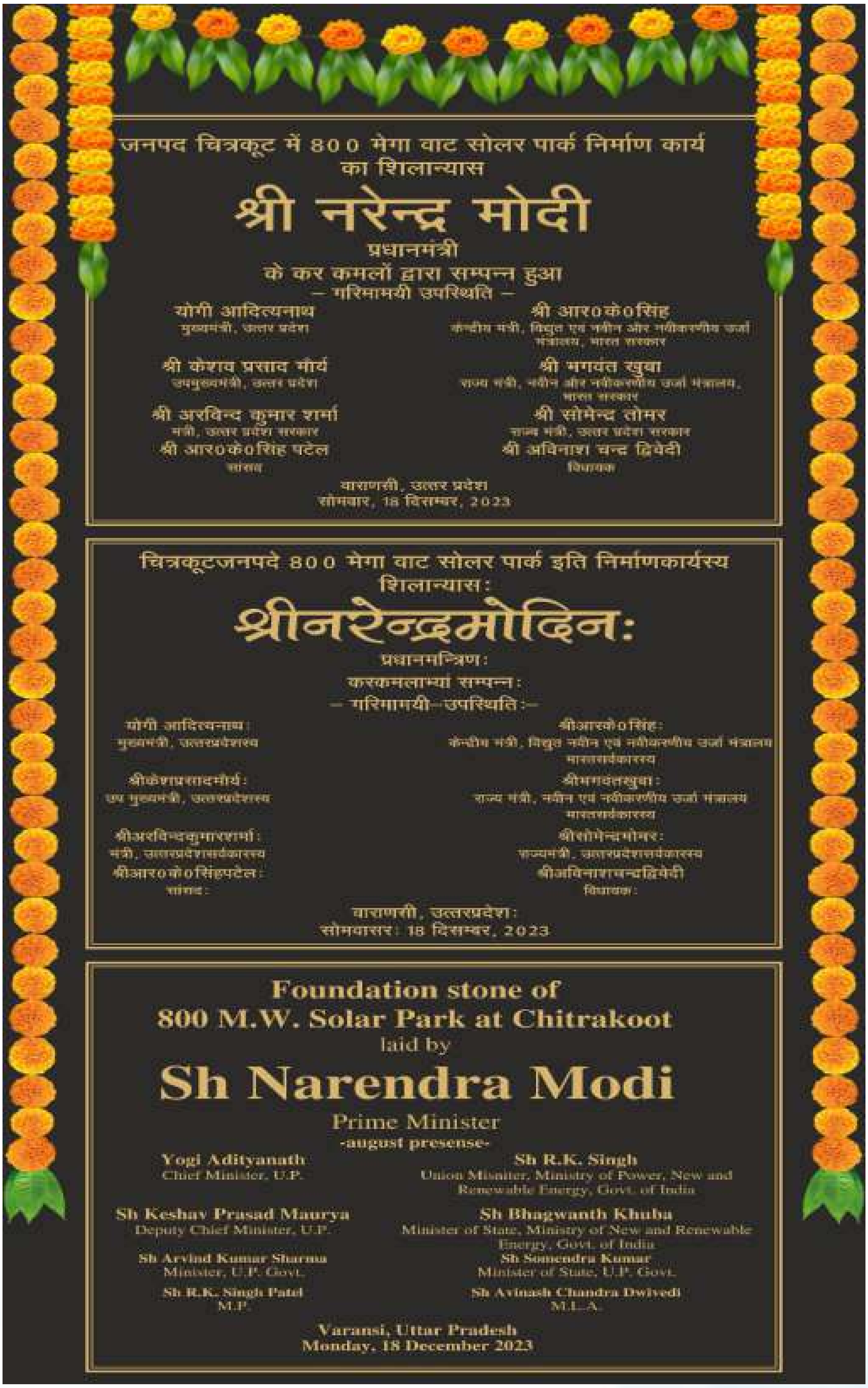

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 दिसम्बर, 2023 को
800 मेगावाट चित्रकूट सौर परियोजना का शिलान्यास

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**कॉर्पोरेट सिंहावलोकन**	3
	– निदेशक मंडल	4
	– विजन और मिशन	5
	– कॉर्पोरेट सूचना	6
	– मुख्य वित्तीय जानकारी	7
	– अध्यक्ष का अभिभाषण	10
	– निदेशकों का संक्षिप्त विवरण	12
2.	**निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24 और इसके अनुलग्नक**	
	– वार्षिक आम बैठक की सूचना	13
	– निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24	20
	– प्रपत्र एओसी–2	32
3.	**वित्तीय विवरण 2023–24**	
	– तुलन–पत्र	34
	– लाभ एवं हानि का विवरण	36
	– नकदी प्रवाह विवरण	37
	– वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	73
	– भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	82

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- विजन और मिशन
- कॉर्पोरेट सूचना
- मुख्य वित्तीय जानकारी
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

निदेशक मंडल

श्री आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष

श्री भूपेन्द्र गुप्ता
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(09.04.2024 से)

श्री संदीप सिंघल
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

श्री अनुपम शुक्ला
नामित निदेशक
यूपीनेडा

वर्ष 2023–24 के दौरान सेवानिवृत्त निदेशक

श्री जे. बेहेरा
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(29.02.2024 से सेवानिवृत)

श्री अतुल जैन
नामित निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(31.12.2023 से सेवानिवृत)

कंपनी का विज़न और मिशन
VISION & MISSION OF THE COMPANY

विजन कथन | Vision Statement

1. स्थायी भविष्य के लिए जीवन का कायाकल्प करने वाली एक अनुकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था बनना।

1. To be an exemplary Renewable Energy Entity transforming lives for sustainable future.

मिशन कथन | Mission Statement

1. आने वाली पीढ़ियों को स्थायी, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम अवसंरचना प्रदान करना।
2. अरबों लोगों के लिए किफायती स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में योगदान करना।
3. भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली के स्वच्छ ऊर्जा मॉडल के रूप में कायाकल्प करने के लिए अनुकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
4. आने वाली पीढ़ियों के लिए लागत प्रभावी तरीके से नवीकरणीय और सतत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
5. भारत में विद्युत उत्पादन प्रणाली को नवीकरणीय और सतत ऊर्जा मॉडल में परिवर्तित करना।

1. To provide best infrastructure for producing sustainable, affordable and clean energy for generations.
2. To contribute in producing affordable clean energy for billions.
3. To provide exemplary eco system for transforming power generation system in India towards a clean energy model.
4. To provide an eco-system for generating renewable and sustainable energy in a cost-effective manner for generations.
5. To transform the power generation system in India towards renewable and sustainable energy model.

कॉर्पोरेट सूचना

पंजीकृत कार्यालय

टुस्को लिमिटेड, चौथा तल,
यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: 0522–3515962

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री मनोज सरदाना
संपर्क नंबर: 9650493650
ईमेल: msardana@thdc.co.in

मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

श्री मृदुल दुबे
संपर्क नंबर: 8299737233
ईमेल: mriduldubey@thdc.co.in
(ceased as CFO on 14.06.2024)

वर्तमान

मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

श्री आनन्द प्रकाश बाजपेयी
संपर्क नम्बर: 9412076713
ई–मेल: anandprakashbajpai@thdc.co.in

कंपनी सचिव (सीएस)

श्री हिमांशु बाजपेयी
संपर्क नम्बर: 7985143022
ई–मेल: himanshubajpai@thdc.co.in

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
104–रविन्द्र गार्डन, सेक्टर–ई,
अलीगंज, लखनऊ – 226024
संपर्क नम्बर: 9415020260
ई–मेल: joymukherjee.ca@gmail.com

बैंकर्स

पंजाब नेशनल बैंक,
मंडी परिषद, विभूति खंड,
गोमती नगर, लखनऊ 226010

मुख्य वित्तीय जानकारी

(राशि लाख रू. में)

			2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
क		**राजस्व**				
	1	प्रचालन से राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	अन्य आय	52.66	40.83	10.26	7.86
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	घटाए: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	**कुल राजस्व**	52.66	40.83	10.26	7.86
ख		**व्यय**				
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	123.62	76.26	154.07	0.00
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	2.95	2.36	2.36	42.37
	8	प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	अपवादात्मक मदें	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	**कुल व्यय**	126.57	78.62	156.43	42.37
	11	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)** (5–10)	(73.91)	(37.79)	(146.17)	(34.51)
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	**सकल लाभ (पीबीआईटी)** (11–12)	(73.91)	(37.79)	(146.17)	(34.51)
	14	वित्त लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ** (13–14)	(73.91)	(37.79)	(146.17)	(34.51)
	16	आय कर	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	(15.56)	(13.12)	(43.33)	(8.52)
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन से पूर्व अवधि के लिए लाभ** (15–16–17)	(58.35)	(24.67)	(102.84)	(25.99)
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	सतत परिचालन से अवधि के लिए लाभ (18+19)	(58.35)	(24.67)	(102.84)	(25.99)
	21	अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	अन्य व्यापक आय पर आय कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	**कुल व्यापक आय (20+21+22)**	**(58.35)**	**(24.67)**	**(102.84)**	**(25.99)**
ग		**परिसंपत्तियां**				
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (निवल ब्लॉक)	107.05	73.24	47.53	21.30
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	8605.35	4,687.60	2,010.65	640.60
	26	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	10656.84	8,639.70	4,980.33	32.76
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	80.53	64.97	51.85	8.52
	29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	8.29	0.00	0.00	0.00
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	3114.82	331.86	1.62	0.00

		(राशि लाख रू. में)				
			2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
	31	चालू परिसंपत्तियां	1691.12	2,210.77	261.95	724.29
	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
	33	सहायक कंपनी में निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
	34	कुल परिसंपत्तियां	24,264.00	16,008.14	7,353.93	1,427.47
घ		**देयताएं**				
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	4000.00	3,500.00	2,000.00	1,000.00
		अन्य इक्विटी				
	36	आरक्षित और अधिशेष	(211.86)	216.5	(128.83)	(25.99)
	37	अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00
	38	कुल अन्य इक्विटी	(211.86)	216.5	(128.83)	(25.99)
	39	दीर्घ अवधि उधारियां	2941.38	0.00	0.00	0.00
	40	गैर–चालू पट्टा देयताएं	10794.81	8,771.35	4778.20	27.68
	41	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	4830.33	2,450.00	50.00	0.00
	42	लघु अवधि उधारियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	43	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	0.00	0.00	0.00	0.00
	44	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	1177.48	609.68	373.66	6.85
	45	अन्य चालू देयताएं	731.86	460.61	280.90	418.93
	46	विनियामक अस्थागित लेखा क्रेडिट शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
	47	कुल देयताएं	24264.00	16,008.14	7353.93	1427.47
	48	निवल मूल्य (35+38)	3788.14	3,716.5	1871.17	974.01
	49	नियोजित पूंजी (48+43+42+39–28)	6648.99	3,651.53	1819.32	965.49
	50	लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00
	51	मूल्य वर्धित (11)	0.00	0.00	0.00	0.00
	52	कर्मचारियों की संख्या	50	22	19	12
	53	शेयरों की संख्या (राशि लाख में) (प्रति शेयर 1000/–रू. के सममूल्य पर)	4.00	3.5	2.00	1.00
ङ		**अनुपात**				
		विनियामक अस्थगित लेखा शेष में निबल संचलन सहित प्रति शेयर अर्जन (रू. 1000/–शेयर का सममूल्य) (रू. में)	(15.44)	(8.66)	(89.91)	(25.99)
		चालू अनुपात (31/(42+43+44+45))	0.89	2.07	0.40	1.70
		इक्विटी पर ऋण (39+42+43/48)	0.78	0.00	0.00	0.00
		नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) (13+9/49)	–1.11%	–1.03%	–8.03%	–3.57%
		निवल मूल्य पर प्रतिफल	–1.56%	–0.88%	–7.23%	–2.67%
		कुल व्यापक आय से प्रचालनों से राजस्व (23/1)	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू. में) (48/53)	947.035	1,061.85	935.59	974.01
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (करोड़ रू. में) (51/52)	0.00	0.00	0.00	0.00
		लाभांश प्रति शेयर रू. में (रू. में) (प्रत्येक 1000 रू. का शेयर)	0.00	0.00	0.00	0.00
च		**प्रचालन निष्पादन**				
		उत्पादन (एम. यू.)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

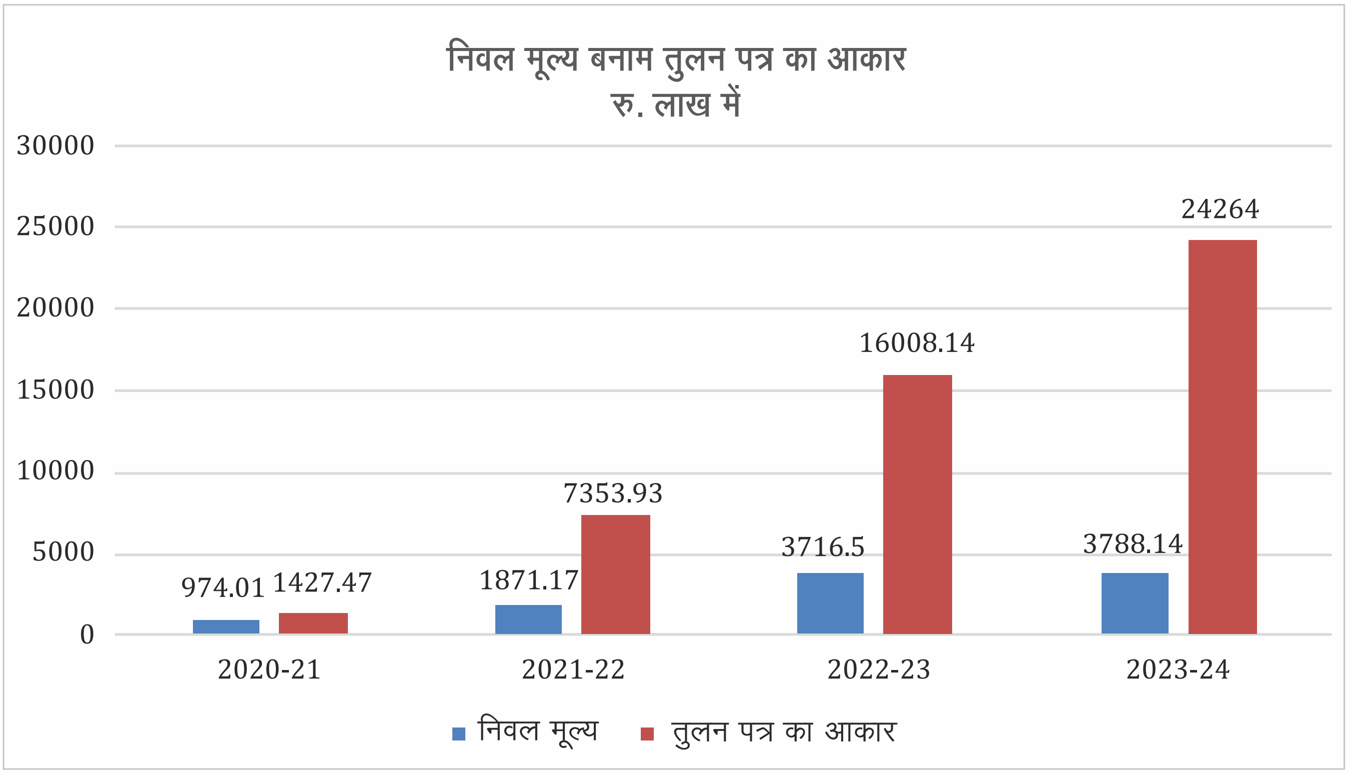

4 मार्च, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 600 मेगावाट की ललितपुर सौर परियोजना का शिलान्यास

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय सदस्य गण,

मुझे हमारी चौथी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2023–24 में टुस्को लिमिटेड के व्यापक सिंहावलोकन को समाहित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और चुनौतियों दोनों का अनुभव किया। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी कंपनी ने साझा मूल्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया। मैं वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।

भारत सरकार (जीओआई) ने हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तरोत्तर घटती लागत, बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आकर्षक विकल्प है। अब तक, लगभग 191.67 गीगावाट (अप्रैल, 2024) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इसमें लगभग 81.81 गीगावाट सौर, 46 गीगावाट पवन, 11 गीगावाट जैव–शक्ति, 0.55 गीगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा, 46.85 गीगावाट दीर्घ जलविद्युत और 5 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता शामिल है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के उपरोक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इसमें 8 मोड हैं जिनके तहत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स (यूएमआरईपीपी) योजनाएं लागू की जाती हैं। टुस्को लिमिटेड के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) सीपीएसयू/राज्य पीएसयू / सरकारी संयुक्त उद्यम/उनकी सहायक कंपनियों के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मोड–8 के तहत विकसित किए जा रहे हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने उत्तर प्रदेश राज्य में टुस्को लिमिटेड को विकास के लिए 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क आबंटित किए हैं। तदोपरांत, इसे टुस्को लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्थात् टुस्को लिमिटेड को 12.09.2020 को टुस्को लिमिटेड और यूपीएनईडीए की क्रमशः 74% और 26% इक्विटी हिस्सेदारी के साथ निगमित किया गया था।

कंपनी कई चुनौतियों का सामना करने में लचीली रही है और नवीकरणीय ऊर्जा में एक सतत संस्था के रूप में उभरी है, जिसने भारत में किफायती स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए एक खाका तैयार किया है। टुस्को लिमिटेड भारत को उसके सतत विकास लक्ष्यों के समीप पहुंचने में मदद कर रहा है।

परियोजनाएं:

13 अक्टूबर, 2020 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा ललितपुर और झांसी जिलों में 600 मेगावाट के दो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। दिनांक 18.08.2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट क्षमता यूएमआरईपीपी की संस्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इस प्रकार, 15.06.2020 को जारी एमएनआरई स्कीम के मोड–8 के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 2000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी की संस्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। सभी आबंटित सौर विद्युत पार्कों में कार्य प्रगति पर है।

भावी दृष्टिकोण:

देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, आबंटित यूएमआरईपीपी को शीघ्रातिशीघ्र चालू करना समयोचित है। सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए, मुझे विश्वास है कि कंपनी का समर्पित और अनुभवी कर्मचारी कार्यबल उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

कंपनी के सतत विकास के लिए नए व्यावसायिक अवसर तलाशने की भी आवश्यकता है। तदनुसार, टुस्को लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा छह फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं नामतः माताटीला बांध (ललितपुर), जामिनी बांध (ललितपुर), ढुकवां बांध (झांसी), अर्जुन सागर बांध (महाबाद), अदवा बांध (मिर्जापुर) और रामगंगा बांध (कालागढ़) के डीपीआर और पीएफआर के विकास का कार्य भी सौंपा गया था। हमारी टीम ने इन सभी छह फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है। व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम के आधार पर 3 परियोजनाएं

नामतः माताटीला बांध (400 मेगावाट), जामिनी बांध (37 मेगावाट) और अर्जुन सागर बांध (27 मेगावाट) व्यवहार्य पाई गई। इसके अलावा, इन व्यवहार्य सौर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और टीएचडीसीआईएल द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विचार, अनुमोदन और आबंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की गई है।

आभार

टुस्को लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एमएनआरई, एसईसीआई, उत्तर प्रदेश सरकार, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के डीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी जिला स्तर के अधिकारियों का हमारे प्रयासों में उनके समर्थन के लिए और साथ ही उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग पावर परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उन सभी कृषकों, जिन्होंने पट्टा विलेख (लीज डीड) पर हस्ताक्षर करने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और कृषकों को समय पर सभी भुगतान करने के लिए बैंकरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं इस अवसर पर टुस्को लिमिटेड के सम्पूर्ण कार्यबल को कंपनी की स्थापना और चित्रकूट में भूमि चिह्नित करने साथ–साथ झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में किसानों के साथ पट्टा विलेख (लीज डीड) के निष्पादन में तेजी लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम अपने देश के निरंतर विकास के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करना जारी रखेंगे।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं और भविष्य में उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूं। मैं आपके निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

शुभकामनाओं सहित,

ह0/–

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08534217

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 06.09.2024

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने 06.08.2021 को टुस्को लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान में आप टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले, आप 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) थे।

श्री विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और आपको जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 37 से अधिक वर्षों का बृहद और समृद्ध अनुभव हैं। आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, रूस से हाइड्रोलिक संरचनाओं और जलविद्युत निर्माण के डिजाइन और निर्माण में व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम भी पूरा किया है। आपने एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद से अग्रणी कार्यनीतिक परिवर्तन में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

श्री भूपेंद्र गुप्ता

श्री भूपेंद्र गुप्ता 09 जून, 2023 ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया और आपको 09.04.2024 से टुस्को बोर्ड में टीएचडीसी आईएल के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आप भूटान में पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) के पद पर थे। इससे पहले, आपने आरईसी की दो सहायक कंपनियों नामतः आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रचालन प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, आप विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और परामर्श के लिए जिम्मेदार थे।

श्री गुप्ता के पास लगभग 33 वर्षों का समृद्ध और विशाल कार्य अनुभव है, जिसमें से लगभग 30 वर्षों तक आपने विद्युत क्षेत्र में काम किया है और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ–साथ पारेषण/वितरण परियोजनाओं की योजना/डिजाइन/ निष्पादन/ संविदा/परियोजना प्रबंधन और ओएंडएम के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

श्री गुप्ता ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए के साथ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक हैं। वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के साथ 12 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया और 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्लांट के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की योजना, स्थापना और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार थे, जो भारत में अब तक संचालित सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। आपने इससे पहले लगभग 3 वर्षों (2002 से 2005 तक) के लिए 1020 मेगावाट ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के साथ प्रतिनियुक्ति पर भूटान में भी कार्य किया था।

श्री संदीप सिंघल

श्री संदीप सिंघल वर्तमान में टीएचडीसीआईएल में कार्यपालक निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत हैं तथा आपको 09.04.2024 से टीएचडीसीआईएल के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री सिंघल ने रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आप वर्ष 1990 में इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में टीएचडीसीआईएल में शामिल हुए तथा लगभग 24 वर्षों तक डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग में कार्य किया। इसके पश्चात, आपने कॉर्पोरेट संविदा विभाग में कार्य किया तथा संविदा विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आपने टीएचडीसीआईएल की एनसीआर इकाई के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है।

हाल ही में, आपने टीएचडीसीआईएल में कार्यपालक निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला है तथा डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग, संचालन अनुरक्षण एवं सुरक्षा विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग, भूविज्ञान एवं भूतकनीकी विभाग तथा लागत इंजीनियरिंग विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं।

श्री अनुपम शुक्ला

श्री अनुपम शुक्ला को दिनांक 12.07.2022 को टुस्को लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से नामिती निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आप 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। श्री शुक्ला ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन विश्वविद्यालय, देहरादून से एमएससी पूरा किया है। आपने जनवरी, 2020 से मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में श्री शुक्ला ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के सचिव और निदेशक (यूपीनेडा) के रूप में भी कार्यरत हैं।

टुस्को लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीएनईडीए का संयुक्त उपक्रम)

(सीआईएन: U40106UP2020GOI134504)

पंजीकृत पता: चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226010

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एततद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टुस्को लिमिटेड के सदस्यों की चौथी वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग करते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित है:

सामान्य कार्य–संव्यवहार

1. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   ''**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की दारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग है, और लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एततद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाए।

2. **वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   ''**संकल्प लिया जाता है** कि ''टुस्को लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षक, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है, के वर्ष 2024–25 के लिए पारिश्रमिक को जीएसटी सहित ₹2,36,000/– पर अनुमोदित किया जाए।''

3. **श्री राजीव कुमार विश्नोई (डीआईएन: 08534217), नामिती निदेशक – टीएचडीसीआईएल को सेवानिवृत्त हुए निदेशक के स्थान पर चक्रानुक्रम के द्वारा नियुक्त करना।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प लिया जाता है** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में श्री राजीव विश्नोई (डीआईएन:08534217), को सेवानिवृत्त हुए निदेशक के स्थान पर चक्रानुक्रम के द्वारा इस बैठक में नियुक्त करना।''

विशेष कार्य–संव्यवहार

4. **टुस्को लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹150 करोड़ करना।**

   निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके किसी संशोधन या इसके पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 61 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी के ₹1000 प्रत्येक के 5,00,000 (पांच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके सृजित मौजूदा ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रुपये) की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर ₹1000 के 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयरों, जो कंपनी के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान होंगे, में विभाजित करके ₹150,00,00,000 (एक सौ पचास करोड़ रुपये) करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति दी जानी है।''

   इसके अलावा यह भी **संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी के बहिर्नियमों (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) के खंड ट में निम्नलिखित को

प्रतिस्थापित करके परिवर्तित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति दी जाती है:– ''V. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹1000 के 15,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित करते हुए ₹150,00,00,000 है।''

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि उक्त संकल्प को अमल में लाने के उद्देश्य से कंपनी सचिव को इस संकल्प को अमल में लाने हेतु सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने सहित सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

5. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(c) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक उधार लेने के लिए बोर्ड की शक्तियों को अनुमोदित करना।**

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या उनके बिना, विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(c) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को, समय–समय पर, ऐसी शर्तों और नियमों पर, और प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझे, किसी ऐसी राशि, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशि (कंपनी के बैंकरों से सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों को छोड़कर) सहित कंपनी की संदत्त पूंजी और उसकी मुक्त आरक्षित निधि के योग से अधिक हो सकती है, को उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति दी जाती है, परंतु बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल राशि किसी भी समय 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार टुस्को लिमिटेड की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से ₹700 करोड़ से अधिक नहीं होगी।"

टुस्को लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

ह0/–
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
एम–9044796670

सेवा में:

- टुस्को लिमिटेड के सभी शेयरधारकगण
- टुस्को लिमिटेड के सभी निदेशकगण
- सांविधिक लेखा परीक्षक–मेसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 06.09.2024

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यथा–अपेक्षित समय से कम समय का नोटिस देकर बैठक बुलाई गई है। सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

2. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रभावी होने के लिए, विधिवत भरा हुआ प्रॉक्सी फॉर्म वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फॉर्म का नमूना संलग्न है।

3. नोटिस में संदर्भित संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

4. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') के दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2022 और 28 दिसम्बर, 2022 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के अपने परिपत्र (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के उपबंधों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक माइक्रोसॉफ्ट टीमों में वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

5. बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक बैठक के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले भेजा जाएगा।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें नोटिस के एजेंडा मद संख्या 4 और मद संख्या 5 के अंतर्गत विशेष कार्य–संव्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वर्णित हैं, इसके साथ संलग्न है। निदेशक मंडल ने इन पर विचार किया है और वार्षिक आम बैठक में विशेष व्यवसाय को शामिल करने का निर्णय लिया है।

8. वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक के निर्धारित समय से 24 घंटे या उससे पहले कंपनी को ईमेल के माध्यम से himanshubajpai@thdc.co.in पर लिखें। कंपनी द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

9. किसी भी प्रश्न के मामले में शेयरधारक himanshubajpai@thdc.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

टुस्को लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीएनईडीए का संयुक्त उपक्रम)

(सीआईएन: U40106UP2020GOI134504)

पंजीकृत पता: चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226010

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या और विषय

मद संख्या 4: टुस्को लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹150 करोड़ करना।

टुस्को लिमिटेड को 12 सितंबर, 2020 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की इक्विटी टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच 74:26 के अनुपात में साझा की जाती है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50 करोड़ है। टुस्को लिमिटेड की वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी ₹50.00 करोड़ है, जो ₹1000 प्रत्येक के 5,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। आज की तारीख तक, संदत्त पूंजी ₹40.00 करोड़ है, जो समझौता ज्ञापन के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीनेडा के बीच 74:26 के अनुपात में आबंटित और जारी की गई है।

वर्तमान में, टुस्को लिमिटेड के पास निम्नलिखित परियोजनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के सापेक्ष इक्विटी नीचे दी गई तालिका के अनुसार दिखाई गई है: –

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	डीपीआर के अनुसार इक्विटी
1	झांसी सौर पार्क	600 मेगावाट	₹20.00 करोड़
2	ललितपुर सौर पार्क	600 मेगावाट	₹20.00 करोड़
3	चित्रकूट सौर पार्क	800 मेगावाट	₹16.50 करोड़ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
	कुल	**2000 मेगावाट**	

जैसा कि ऊपर बताया गया है, टुस्को लिमिटेड की इक्विटी ₹50 करोड़ है और 3 सौर ऊर्जा पार्कों की स्वीकृत डीपीआर के अनुसार कुल अधिकृत शेयर पूंजी ₹56.5 करोड़ है और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के लिए बोर्ड द्वारा ₹3.5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, लगभग ₹75 करोड़ की लागत वाली 10–वर्षीय अग्रिम पट्टा (लीज) किराया भुगतान नीति को टुस्को लिमिटेड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के त्वरित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस संदर्भ में, कंपनी और अधिक परियोजनाएं ले रही है और इस कदम की ओर, अग्रिलिखित 3 जलाशयों पर अग्रानुसार 3 फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं अर्थात् (i) माता टीला जलाशय (जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित) पर लगभग ₹2254.73 करोड़ की लागत के साथ 400 मेगावाट की अनुमानित स्थापित क्षमता, (ii) जामिनी बांध जलाशय (जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित) पर लगभग ₹218.31 करोड़ की लागत के साथ और 37 मेगावाट की अनुमानित स्थापित क्षमता और (iii) अर्जुन सागर जलाशय (जिला महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित) पर लगभग 160.40 करोड़ की लागत के साथ 27 मेगावाट की अनुमानित स्थापित क्षमता की डीपीआर उत्तर प्रदेश सरकार में अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं, जिसे टुस्को / टीएचडीसी द्वारा कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप टुस्को लिमिटेड को कार्यान्वयन के लिए कुछ और परियोजनाएं मिलने की संभावना है, जिसके लिए अतिरिक्त इक्विटी की आवश्यकता होगी। उपरोक्त के मद्देनजर, टुस्को लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹150 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 09.04.2024 को आयोजित अपनी 15वीं बोर्ड बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन अधिकृत पूंजी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करें:

''**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके किसी संशोधन या इसके पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 61 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी के ₹1000 प्रत्येक के 5,00,000 (पांच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके सृजित मौजूदा ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रुपये) की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर ₹1000 के 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयरों, जो कंपनी के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान होंगे, में विभाजित करके ₹150,00,00,000 (एक सौ पचास करोड़ रुपये) करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति दी जाती है।

इसके अलावा यह भी **संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी के बहिर्नियमों (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) के खंड V में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके परिवर्तित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति दी जाती है:– ''कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹1000 के 15,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित करते हुए ₹150,00,00,000 है।''

"आगे यह भी **संकल्प लिया जाता है** कि उक्त संकल्प को अमल में लाने के उद्देश्य से कंपनी सचिव को इस संकल्प को अमल में लाने हेतु सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने सहित सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष प्रस्ताव के पारित होने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का सरोकार या रुचि नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या और विषय

मद संख्या 5 : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक उधार लेने के लिए बोर्ड की शक्तियों को अनुमोदित करना।

टुस्को लिमिटेड को 12 सितंबर 2020 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में ₹50 करोड़ की अधिकृत पूंजी और ₹10 करोड़ की प्रारंभिक संदत्त पूंजी के साथ निगमित किया गया था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में विकसित किए जाने वाले 2000 मेगावाट क्षमता के यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए मेसर्स टुस्को लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 600 मेगावाट झांसी सोलर पार्क और 600 मेगावाट ललितपुर सोलर पार्क तथा 18.08.2021 को 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पावर पार्क की स्थापना के लिए 13.10.2020 को नवीन एवं नवाकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा का संयुक्त उद्यम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। 31.03.2024 तक कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी ₹40.00 करोड़ (चालीस करोड़ रुपये) है। इक्विटी अंशदान दोनों प्रमोटरों (नामतः टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा) से 74:26 के अनुपात में जुटाया जाएगा। सौर पार्कों के विकास के लिए वित्त पोषण के स्रोत सीएफए, इक्विटी और ऋण और एकमुश्त विकास शुल्क (अपफ्रंट शुल्क), जो डेवलपर्स से उनकी नियुक्ति के बाद प्राप्त किया जाएगा, हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नीति के अनुसार उपलब्धि–चरण हासिल करने पर सीएफए प्राप्त किए जाएंगे। ऋण के माध्यम से परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि तीनों सौर पार्कों के लिए ऋण निधि की कुल आवश्यकता ₹554 करोड़ है। बोर्ड ने पहली बोर्ड बैठक में ₹300 करोड़ उधार लेने को पहले ही मंजूरी दे दी है और उधार की इस स्वीकृति के सापेक्ष, झांसी सौर पार्क के लिए मेसर्स आरईसी से ₹140 करोड़ का ऋण पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

ललितपुर और चित्रकूट सौर पार्को के लिए ऋण वित्तपोषण ₹414 करोड़ होने का अनुमान है और आकस्मिक आवश्यकता पर विचार करते हुए, अतिरिक्त ₹400 करोड़ के लिए निधि उधार लेने की मंजूरी लेने का प्रस्ताव है, जिससे टुस्को ₹700 करोड़ तक का ऋण ले सकेगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 19.12.2023 को आयोजित अपनी 14वीं बोर्ड बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, परियोजना गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए 700 करोड़ रुपये तक की धनराशि उधार लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के तहत बोर्ड की चुकता पूंजी और फ्री रिजर्व से अधिक उधार लेने की शक्ति को मंजूरी दें और निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करें:

"**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को, समय–समय पर, ऐसी शर्तो और नियमों पर, और प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझे, किसी ऐसी राशि, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशि (कंपनी के बैंकरों से सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों को छोड़कर) सहित कंपनी की संदत्त पूंजी और उसकी मुक्त आरक्षित निधि के योग से अधिक हो सकती है, को उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति दी जाती है, परंतु बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल राशि किसी भी समय 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार टुस्को लिमिटेड की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से ₹700 करोड़ से अधिक नहीं होगी।"

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष प्रस्ताव के पारित होने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का सरोकार या रुचि नहीं है।

टुस्को लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूपीएनईडीए का संयुक्त उपक्रम)

(सीआईएन: U40106UP2020GOI134504)

पंजीकृत पता: चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226010

प्रॉक्सी फॉर्म

कंपनी का नाम : टुस्को लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : चौथा तल, यूपीएनईडीए भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226010

सदस्य का नाम		
पंजीकृत पता		
ईमेल		

मैं, ... टुस्को लिमिटेड का सदस्य होने के नाते, 06 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित की जाने वाली कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक और इसके किसी स्थगन के संबंध में नीचे उल्लिखित निम्नलिखित संकल्पों में भाग लेने और मतदान करने के लिए .... के श्री .... को (उनके न हो सकने पर) .... के श्री .... को एतदद्वारा अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

साधारण कार्य–संव्यवहार

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना
3. श्री राजीव कुमार विश्नोई (डीआईएन: 08534217), नामिती निदेशक–टीएचडीसीआईएल को नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम के द्वारा निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं।

विशेष कार्य–संव्यवहार

4. टुस्को लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹150 करोड़ करना।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(c) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक उधार लेने के लिए बोर्ड की शक्तियों को अनुमोदित करना।

मैंने दिनांक .... 2024 को साक्षी के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए।

हितधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा कर दिया जाना चाहिए।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य गण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी के कार्यकरण पर चौथी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी :

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आबंटित किया है। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा, उत्तर प्रदेश का एक सरकारी संगठन, के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाना है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 06.08.2020 को हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके बाद, वर्ष 2013 में ₹50 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) और यूपीएनईडीए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच क्रमशः 74: और 26: की इक्विटी भागीदारी के साथ, 12 सितंबर, 2020 को कंपनी अधिनियम के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 में स्थित है।

परियोजनाएं :

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य में एसपीवी (अर्थात टुस्को लिमिटेड) के माध्यम से 2000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा सौर विद्युत पार्क (यूएमआरईपीपी) आबंटित किया है। इन यूएमआरईपीपी को एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) योजना के मोड–8 के तहत विकसित किया जा रहा है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकार यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करेगी और अधिग्रहण में सहायता प्रदान करेगी और सभी अपेक्षित सांविधिक मंजूरियों के लिए मदद करेगी।
- यूएमआरईपीपी के लिए भूमि इस शर्त के साथ आबंटित की जाएगी कि विकास दो वर्षों (अप्रत्याशित परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए विस्तार के प्रावधान के साथ) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को परियोजना की संपूर्ण पीपीए अवधि के लिए यूएमआरईपीपी में परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली विद्युत के ₹0.05/ यूनिट के सुविधा शुल्क का भुगतान केवल यूएमआरईपीपी से राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली विद्युत की मात्रा के लिए किया जाएगा।

- एसपीपीडी (टुस्को लिमिटेड) को ₹20 लाख /मेगावाट या यूएमआरईपीपी के विकास की लागत का 30%, जो भी कम हो, की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी।

- यदि एसपीपीडी अथवा इसके किसी व्यक्तिगत विकासकर्ता के पास ट्रेडिंग लाइसेंस है, तो एसपीपीडी ₹0.07/यूनिट के मार्जिन का दावा करने का हकदार होगा।

सौर पार्कों में परियोजना गतिविधियों में ग्राम सभा/सरकार और किसानों की निजी भूमि से भूमि प्राप्त शामिल है। सरकारी भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर ₹1/एकड़/वर्ष की दार से प्राप्त की जा रही है और किसानों से भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर 30 वर्षीय पट्टे के आधार पर अधिगृहीत की जा रही है।

टुस्को लिमिटेड झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में तीन सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि पट्टा करारों पर हस्ताक्षर कर रही है। इस संदर्भ में, मई 2023 में सीईए द्वारा जारी "राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023" के खंड 9.5.1 "भूमि" के अंतर्गत पैरा "सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि संबंधी विचारण" के अनुसार, उच्च वाट क्षमता वाले पीवी मॉड्यूल (450डब्ल्यूपी और अधिक) के आगमन के कारण भूमि की आवश्यकता में न्यूनतम 20% की कमी आई है और यह 5 एकड़/मेगावाट से घटकर 4 एकड़/मेगावाट रह गई है। तदनुसार, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट सौर पार्क परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का भी पुनर्मूल्यांकन किया गया है। इसलिए, तीनों पार्क परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जो झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के लिए क्रमशः 4.5 एकड़/मेगावाट, 4.5 एकड़/मेगावाट और 4.25 एकड़/मेगावाट है।

सौर पार्क में अन्य गतिविधियों में बाड़ लगाना, गेट, पार्क के अंदर सड़कें, जल निकासी योजना, विभिन्न बिंदुओं / स्थानों पर पानी की व्यवस्था, प्रशासनिक भवन, गोदाम, प्रशिक्षण केंद्र, सड़क पर आंतरिक प्रकाश व्यवस्था और निकटतम राजमार्गों / सड़कों से पार्क करने के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण शामिल है। उपरोक्त के अलावा, सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी) को पूलिंग सब–स्टेशनों और आंतरिक विद्युत पारेषण लाइनों के विकास सहित निकटवर्ती के ग्रिड सब–स्टेशन को कनेक्ट करते हुए आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली का विकास करना है।

निर्माणाधीन सौर ऊर्जा पार्कों की प्रगति और स्थिति :

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19.11.2021 को झांसी में 600 मेगावाट झांसी सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18.12.2023 को 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पावर पार्क परियोजना का शिलान्यास किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 04.03.2024 को आदिलाबाद, तेलंगाना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टुस्को लिमिटेड की 600 मेगावाट ललितपुर सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया।

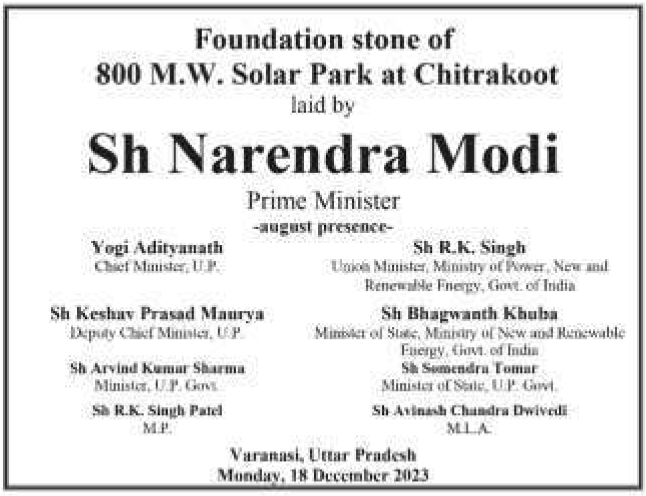

पट्टे पर दी गई भूमि का 10 वर्ष का अग्रिम पट्टा किराया भुगतान :

भूमि प्राप्त करने की प्रगति में तेजी लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में टुस्को लिमिटेड की 2000 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए किसानों/भूस्वामियों को उनके द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के बदले में एक बड़ी राशि के रूप में प्रारंभिक 10 वर्ष का अग्रिम पट्टा किराया दिया जा रहा है।

600 मेगावाट झांसी सोलर पावर पार्क (जेएसपीपी) की स्थिति

झांसी सौर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण :

झांसी में झांसी जिले की गरौठा तहसील में 600 मेगावाट के यूएमआरपीपी की स्थापना की जा रही है। डीपीआर के अनुसार, झांसी सोलर पावर पार्क के लिए अधिग्रहण हेतु 30–वर्षीय पट्टे के आधार पर लक्षित भूमि 3000 एकड़ है। हालांकि, तकनीकी उन्नति के कारण 600 मेगावाट झांसी सोलर पावर पार्क की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का आकार पुनः निर्धारित किया गया। झांसी में सोलर पावर पार्क की स्थापना के लिए आवश्यक पुनः निर्धारित भूमि 2700 एकड़ है।

पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए टुस्को लिमिटेड के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक

झांसी सोलर पावर पार्क के लिए अब तक कुल 2596.31 एकड़ भूमि (96%) अधिग्रहित की गई है, जो 30 वर्षीय पट्टे पर है और इसमें (2332.54) एकड़ निजी भूमि और 263.77 एकड़ सरकारी/ग्राम सभा भूमि शामिल है।

परियोजना लागत :

झाँसी सौर पार्क उत्तर प्रदेश में झाँसी जिले की गरौठा तहसील में स्थापित किया जा रहा है। झाँसी सौर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2020 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और सोलर पार्क की लागत ₹429.92 करोड़ है।

वित्त पोषण के स्रोत :

झाँसी सोलर पार्क को निम्नलिखित स्रोतों से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है:

क्रम सं.	स्रोत	राशि (₹ करोड़ में)
1	इक्विटी	20.00
2	केन्द्रीय वित्तीय सहायता	120.00
3	अग्रिम प्रभार	150.00
4	ऋण वित्तपोषण	140.47

विद्युत निकासी–आंतरिक :

600 मेगावाट झांसी सोलर पावर पार्क के लिए आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 21.06.2023 को टुस्को लिमिटेड और पीजीसीआईएल (पावरग्रिड) के बीच समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 पूलिंग सब–स्टेशन (पीएसएस) के लिए कुल 12 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। पीजीसीआईएल ने पैकेज–1 (सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन) के लिए मेसर्स ब्लू स्टार को और पैकेज–2 (ट्रांसफार्मर) के लिए मेसर्स तोशिबा को कार्य सौंपा है। झांसी सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत 33/220 केवी के 2 पूलिंग सब–स्टेशनों के माध्यम से और आगे 220/400 केवी ग्रिड सब–स्टेशन के माध्यम से मुख्य ग्रिड में निकाली जाएगी। समझौते पर टुस्को लिमिटेड के सीईओ श्री मनोज सरदाना और पावरग्रिड की सीजीएम (व्यावसायिक विकास) श्रीमती नीला दास ने हस्ताक्षर किए।

आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 21.06.2023 को टुस्को लिमिटेड और पावरग्रिड (पीजीसीआईएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

विद्युत निकासी–बाहरी :

टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच 20.06.2023 को भूमि उपयोग समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत 220/400 केवी ग्रिड सब–स्टेशन (जीएसएस) के निर्माण के लिए 75 एकड़ भूमि को सुपुर्द किया जाएगा, जो कि जलालपुरा, जिला झांसी गांव में स्थित है। जीएसएस के निर्माण का कार्य यूपीपीटीसीएल द्वारा मेसर्स केपीटीएल (कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड) को दिया गया है। जीएसएस के लिए आबंटित भूमि की मिट्टी की जांच, समतलीकरण और बाड़ाबंदी का कार्य पूरा करने के बाद, मेसर्स केपीटीएल द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है।

झांसी सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत 33/220 केवी के 2 पूलिंग सब–स्टेशनों के माध्यम से तथा आगे 220/400 केवी ग्रिड सब–स्टेशन के माध्यम से मुख्य ग्रिड तक पहुंचाई जाएगी। समझौते पर श्री मुकेश कुमार वर्मा, सहायक महाप्रबंधक, टुस्को लिमिटेड, झांसी तथा श्री विकास गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, यूपीपीटीसीएल, झांसी ने हस्ताक्षर किए।

टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर

परियोजना की बाड़ाबंदी :

झांसी सोलर पार्क के लिए टुस्को लिमिटेड द्वारा 44.8 किलोमीटर की बाड़ाबंदी के कुल तीन पैकेज दिए गए हैं और सभी पैकेजों का कार्य पूरा हो चुका है। बाड़ाबंदी के दो पैकेज (ए और बी) को डिपॉजिट वर्क के आधार पर मेसर्स यूपीआरएनएन द्वारा निष्पादित किया गया है और एक पैकेज (सी)को मेसर्स एएस कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स द्वारा खुली निविदा के माध्यम से निष्पादित किया गया है, विवरण नीचे दिए गए हैं:

क. ₹2.79 करोड़ की लागत से 4.8 किलोमीटर लंबाई की बाड़ाबंदी का पहला पैकेज–पूर्ण

ख. ₹7.81 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर लंबाई की बाड़ाबंदी का दूसरा पैकेज–पूर्ण हो गया है।

ग. 17.05.2023 को ₹9.04 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर की बाड़ाबंदी का तीसरा पैकेज–पूर्ण हो गया है।

विभिन्न अन्य बुनियादी ढाँचे के कार्य (शेष बाड़ लगाने का कार्य, सड़कें, प्रशासनिक भवन आदि) के प्राकलनों की जाँच की जा रही है, और शीघ्र ही कार्य शुरू हो जाएगा।

विद्युत क्रय :

यूपीईआरसी द्वारा सीलिंग टैरिफ के अनुमोदन के अध्यधीन यूपीपीसीएल से ₹2.70/यूनिट की अधिकतम टैरिफ के साथ टुस्को द्वारा अनुरोध किए गए 600 मेगावाट क्षमता के पीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है।

झांसी सोलर पावर पार्क में बाड़ाबंदी का कार्य

पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन :

₹25.31 लाख की लागत वाली 600 मेगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन का कार्य अगस्त 2023 में खुली निविदा के माध्यम से मेसर्स व्हॉयांट्स सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और संविदाकार द्वारा मसौदा ईएसआईए रिपोर्ट और एलआरपी प्रस्तुत किया गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।

केंद्रीय वित्तीय सहायता :

विभिन्न उपलब्धि–चरण (50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण, वित्तीय समापन और पूलिंग स्टेशनों के कार्य का एवार्ड) की उपलब्धि के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से अब तक कुल ₹72 करोड़ का सीएफए प्राप्त हुआ है, जबकि कुल लागू सीएफए ₹120 करोड़ है। उपरोक्त के अलावा एमएनआरई द्वारा डीपीआर तैयार करने के लिए ₹25 लाख जारी किए गए हैं।

परियोजना क्षमता :

तकनीकी सलाहकार–मेसर्स सगुर के आकलन के अनुसार, झाँसी पार्क के अंदर शुद्ध उपयोग योग्य क्षेत्र 1927.724 एकड़ है, जो संयंत्र क्षमता के 8 डिग्री तक ग्रेडिएंट को ध्यान में रखते हुए 418.75 एमडब्ल्यूएसी और 12 डिग्री के उच्च ग्रेडिएंट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए 493.75 एमडब्ल्यूएसी के अनुरूप है।

बोली :

यूपीपीसीएल से ₹2.70 प्रति यूनिट की अधिकतम दर के साथ कुल 600 मेगावाट क्षमता की विद्युत खरीद के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। यूपीपीसीएल ने अधिकतम दर के प्रावधान को बरकरार रखा है, जबकि टुस्को लिमिटेड और यूपीनेडा ने इसे हटाने का अनुरोध किया था।

झांसी सोलर पावर पार्क के लिए एसपीडी के चयन के लिए 29.02.2024 को यूपीनेडा (बोली लगाने वाली एजेंसी) द्वारा एनआईटी जारी कर दी गई है। 09.03.2024 को पीपीए और आईएसए के साथ आरएफएस जारी कर दिया गया है। 01.04.2024 को बोली–पूर्व बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 14–15 बोलीदाताओं ने भाग लिया है। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 08.07.2024 कर दी गई है।

वित्तपोषण :

अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, कंपनी ने झांसी एसपीपी के लिए ₹40.00 करोड़ की संदत्त शेयर पूंजी में से ₹20 करोड़ की इक्विटी आबंटित की है और अब तक ₹72 करोड़ का सीएफए प्राप्त हुआ है। कंपनी ने झांसी परियोजना के लिए ₹140.47 करोड़ के ऋण वित्तपोषण के लिए आरईसी लिमिटेड से समझौता भी किया है, जिसमें से अब तक ₹59 करोड़ आहरित किए जा चुके हैं। 31.01.2024 तक ₹63.84 लाख की ब्याज राशि का भुगतान किया गया है और उसके बाद, आरईसीएल से परियोजना की सीओडी तक ब्याज के पूंजीकरण के लिए अनुरोध किया गया है और इसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया है।

व्यय :

झाँसी परियोजना पर दिनांक 31.05.2024 तक ₹111.42 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

600 मेगावाट ललितपुर सोलर पावर पार्क (एलएसपीपी)

ललितपुर सौर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण :

ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में ललितपुर में 600 मेगावाट के यूएमआरपीपी की स्थापना की जा रही है। ललितपुर सोलर पावर पार्क के लिए अधिग्रहण हेतु 30–वर्षीय पट्टे के आधार पर लक्षित भूमि 3000 एकड़ है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुमोदन के अनुरूप है। हालांकि, ललितपुर सोलर पावर पार्क के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनर्मूल्यांकन की गई भूमि की आवश्यकता 2700 एकड़ है।

तालबेहट तहसील में सौर पार्क के विकास के लिए जमीन पर चिन्हित भूमि 3115.8 एकड़ है। ललितपुर सोलर पावर पार्क के लिए अब तक कुल 2340. 53 एकड़ भूमि (87%) अधिग्रहित की गई है। पट्टे के आधार पर अध्यासित सरकारी भूमि 1317.80 एकड़ (2700 एकड़ का 48.80%) और पट्टे के आधार पर अधिग्रहित निजी भूमि 1022.73 एकड़ है।

डीएम, ललितपुर ने प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5% की वृद्धि के प्रावधान के साथ प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹20,000 के रूप में पट्टा किराया को अंतिम रूप दिया है। 29.07.2021 को पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर शुरू हो गए थे।

सौर पार्क की लागत :

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की तालबेहट तहसील में 600 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ललितपुर सोलर पावर पार्क की डीपीआर को राज्य उच्च स्तरीय समिति, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा 13.04.2023 को आरईसी–पीडीसीएल से भी इसकी पुष्टि की गई है। ललितपुर की डीपीआर को 04.12.2023 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। स्वीकृत डीपीआर के अनुसार सौर पार्क की लागत ₹449.23 करोड़ है।

वित्त पोषण के स्रोत :

परियोजना को निम्नलिखित स्रोतों से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है:

क्र.सं.	स्त्रोत	राशि (करोड़ रु. में)
1.	इक्विटी	20.00
2.	केन्द्रीय वित्तीय सहायता	120.00
3.	अग्रिम प्रभार	90.00
4.	ऋण वित्तपोषण	219.23

विद्युत निकासी–बाहरी :

टुस्को लिमिटेड और यूपीपीटीसीएल के बीच 17.07.2023 को भूमि उपयोग समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत मेसर्स यूपीपीटीसीएल द्वारा ललितपुर जिले के खांडी गांव में 220/400/765 केवी ग्रिड सब–स्टेशन (जीएसएस) के निर्माण के लिए 81.89 एकड़ भूमि सौंपी जाएगी। यूपीपीटीसीएल द्वारा जीएसएस के निर्माण का कार्य मेसर्स केपीटीएल (कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड) को सौंपा गया है। मृदा परीक्षण और अन्य प्रारंभिक कार्यों के बाद, जीएसएस को आबंटित भूमि के समतलीकरण और बाड़ाबंदी का कार्य शुरू कर दिया गया है।

विद्युत निकासी–आंतरिक :

सौर पार्क से 220 केवी पारेषण लाइनों के माध्यम से जीएसएस तक विद्युत पहुंचाने के लिए पार्क में 33/220 केवी के 2 पूलिंग सबस्टेशन प्रस्तावित हैं। ललितपुर पार्क में आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली का डिजाइन और योजना टुस्को लिमिटेड द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

यूपीपीटीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

परियोजना में बाड़ाबंदी :

ललितपुर सौर परियोजना में 25 किलोमीटर की बाड़ाबंदी हेतु मेसर्स बुंदेला एसोसिएट्स को 07.06.2023 को ₹8.28 करोड़ का प्राधिकार–पत्र (एलओए) जारी किया गया। बाड़ाबंदी का कार्य प्रगति पर है।

विद्युत क्रय :

वर्तमान में, टुस्को आगे की कार्रवाई करने के लिए उद्योग में विभिन्न हितधारकों के साथ उनकी विद्युत आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए बातचीत कर रहा है।

सौर ऊर्जा विकासकर्ता (एसपीडी) :

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, टीएचडीसीआईएल, टुस्को लिमिटेड के प्रवर्तकों में से एक होने के नाते, ईपीसी मोड के तहत ललितपुर सौर पार्क में सौर परियोजना स्थापित कर सकता है। टुस्को लिमिटेड ने टीएचडीसीआईएल से इस विकल्प पर विचार करने का अनुरोध किया है।

ललितपुर और चित्रकूट सौर पार्क के लिए आईआईटी दिल्ली की नियुक्ति :

टुस्को लिमिटेड ने ललितपुर और चित्रकूट के लिए भूमि के अनुकूलन, भूखंड का आकार, कुशल विद्युत निकासी अवसंरचना योजना, क्षमता आकार आदि के संबंध में अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्य करने के लिए आईआईटी दिल्ली से संपर्क किया है। आईआईटी दिल्ली ने इसके लिए अपना प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वित्तपोषण :

अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, कंपनी ने ₹40.00 करोड़ की कुल संदत्त पूंजी में से ललितपुर एसपीपी के लिए ₹10 करोड़ की इक्विटी आबंटित की है। 10.01.2024 को ललितपुर परियोजना के लिए ₹24 करोड़ की केंद्रीय वित्त सहायता (सीएफए) प्राप्त हुई है तथा एसपीडी के वित्तपोषण के लिए ₹220.00 करोड़ का ऋण वित्तपोषण एवं ₹90.00 करोड़ का आश्वासन कम्फर्ट पत्र आरईसीएल लिमिटेड के साथ प्रगति पर है।

व्यय :

दिनांक 31.05.2024 तक ललितपुर परियोजना पर ₹14.85 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

चित्रकूट सोलर पावर पार्क (सीएसपीपी) की स्थिति :

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरआई) भारत सरकार से सैद्धांतिक अनुमोदन :

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना के लिए 18–08–2021 को एमएनआरई द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण :

नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 18.08.2021 को टुस्को लिमिटेड को चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। चित्रकूट जिले में पार्क के लिए लक्षित भूमि 4000 एकड़ है। हालांकि, चित्रकूट सोलर पावर पार्क के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनर्मूल्यांकन की गई भूमि की आवश्यकता 3400 एकड़ है। अब तक कुल अधिग्रहित भूमि 3090.62 एकड़ (लगभग 3400 एकड़ का 91 प्रतिशत सम्पूर्ण सरकारी भूमि अर्थात् 1249.50 एकड़ का मानित अधिग्रहण मानते हुए और पट्टे के आधार पर अधिग्रहित निजी भूमि 1841.12 एकड़) है। अधिग्रहण के लिए भूमि 30 वर्षीय पट्टे के आधार पर है।

डीपीआर की तैयारी :

800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पावर पार्क की डीपीआर 30-11-2023 को अनुमोदन के लिए एसईसीआई/एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी, डीपीआर के अनुसार, सौर पार्क की लागत ₹588.15 करोड़ अनुमानित है। चित्रकूट की डीपीआर को एसईसीआई के प्रेक्षणों/टिप्पणियों को शामिल करने के बाद अद्यतन किया गया है और बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशानुसार, सौर पार्क प्रभार और प्रशुल्क के अतिरिक्त अनुकूलन के लिए डीपीआर की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद, टुस्को बोर्ड के अनुमोदनोपरांत डीपीआरएसईसीआई/एमएनआरई को प्रेषित की जाएगी।

वित्त पोषण के स्रोत :

चित्रकूट सौर पार्क को डीपीआर में उल्लिखित प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित स्रोतों से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है:

क्रम सं.	स्रोत	राशि (₹ करोड़ में)
1.	इक्विटी	16.45
2.	केन्द्रीय वित्तीय सहायता	160.00
3.	अग्रिम प्रभार	256.00
4.	ऋण वित्तपोषण	155.70

वित्तपोषण :

कंपनी ने ₹40.00 करोड़ की संदत्त शेयर पूंजी में से चित्रकूट एसपीपी के लिए ₹10 करोड़ की इक्विटी आबंटित की है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में पहले उपलब्धि–चरण के लिए 50% से अधिक सीएफए प्रगति पर है। चित्रकूट सोलर पावर पार्क के लिए विभिन्न बैंकों के साथ ₹156.00 करोड़ (लगभग) का ऋण वित्तपोषण के लिए आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) प्रगति पर है।

व्यय :

31.05.2023 तक परियोजना पर ₹12.97 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। टुस्को लिमिटेड ने पहले ही पहले उपलब्धि–चरण अर्थात् परियोजना भूमि के 50% से अधिक अधिग्रहण की उपलब्धि के लिए 20% सीएफए जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है।

बाह्य विद्युत निकासी :

टुस्को और यूपीपीटीसीएल के अधिकारियों द्वारा 02.04.2023 को एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया तथा टुस्को और यूपीपीटीसीएल टीम द्वारा उसरी माफी और चरेहरा गाँव में जीएसएस के निर्माण के लिए लगभग 79 एकड़ भूमि अभिचिह्वित की गई। टुस्को बोर्ड ने अपनी 14वीं बैठक (दिनांक 19.12.2023) में जीएसएस के लिए यूपीपीसीएल को 49.42 एकड़ भूमि सौंपने की स्वीकृति प्रदान की है। जीएसएस निर्माण के लिए 03.05.2024 को यूपीपीटीसीएल को भूमि सौंप दी गई है।

सरकारी भूमि की उपलब्धता :

सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार सौर परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम को ग्राम सभा भूमि सहित सरकारी भूमि या तो पट्टे के आधार पर या प्रति वर्ष ₹1 प्रति एकड़ की दर से उपयोग के अधिकार के आधार पर प्रदान करती है। नीति के अनुसरण में, टुस्को लिमिटेड ने नीति के अनुसार सभी परियोजनाओं, अर्थात झाँसी, ललितपुर और चित्रकूट के लिए अभिचिह्वित सरकारी भूमि/ग्राम सभा भूमि के हस्तांतरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यूपीनेडा ने, औपचारिकता के पूरा होने पर, तीनों परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि टुस्को लिमिटेड को सौंपे दी है।

फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति :

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित तीन (03) बांधों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की डीपीआर टुस्को लिमिटेड द्वारा तैयार कर यूपीनेडा/उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की गई है।

1. माता टीला बांध एवं जलाशय, जिला ललितपुर – 400 मेगावाट
2. जामिनी बांध एवं जलाशय, जिला ललितपुर – 37 मेगावाट
3. अर्जुन सागर, जिला महोबा – 27 मेगावाट

उपरोक्त तीनों फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं अब टीएचडीसीआईएल द्वारा कार्यान्वयन हेतु आबंटन के लिए उत्तर प्रदेश

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50.00 करोड़ और संदत्त पूंजी ₹40.00 करोड़ थी। संदत्त शेयर पूंजी टीएचडीसी और यूपीएनईडीए द्वारा क्रमशः 74:26 के अनुपात में धारित की गई है।

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को कंपनी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	*31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष*	*31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष*
टर्नओवर	–	–
कर पूर्व लाभ/हानि (पीबीटी)	(73.91)	(37.79)
घटाएं: वित्तीय प्रभार	–	–
मूल्यह्रास/परशोधन से पहले लाभ/हानि (पीबीटी)	(73.91)	(37.79)
घटाएं: मूल्यह्रास	–	–
कराधान में पहले निवल लाभ/हानि (पीबीटी)	(73.91)	(37.79)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	15.56	13.12
कराधान में बाद लाभ/हानि (पीएटी)	(58.35)	(24.67)
प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान	-	-
लाभांश कर	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	(58.35)	(24.67)

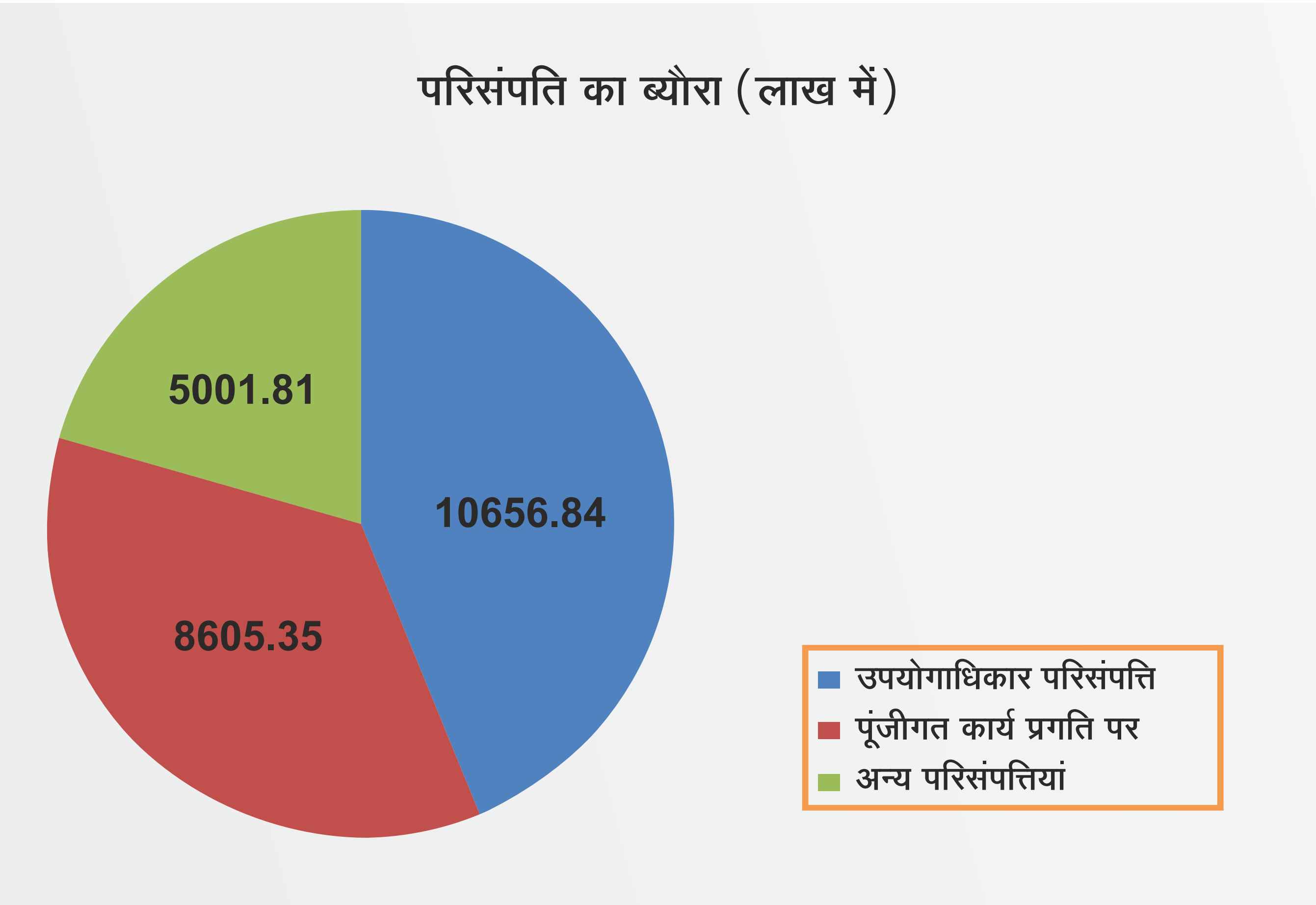

राजस्व मॉडल

परियोजनाओं के डीपीआर के अनुसार, कंपनी के लिए राजस्व, एमएनआरई स्कीम के अनुरूप सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं से प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक संचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों के कारण होगा।

600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा झाँसी सोलर पावर पार्क के विकास के लिए आरईसी लिमिटेड के साथ ऋण समझौता

टुस्को लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड ने 19-05-2023 को टुस्को कार्यालय, लखनऊ में ₹140.47 करोड़ के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। निर्माणाधीन 600 मेगावाट के झाँसी सोलर पावर पार्क की पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार पर टुस्को लिमिटेड की ओर से सीईओ श्री मनोज सरदाना और आरईसी लिमिटेड की ओर से मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक श्री प्रभात कुमार सिंह और पीएनबी (एस्क्रो खाता) की ओर से मुख्य प्रबंधक श्रीमती शैलजा उमराव त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए।

मैसर्स आरईसी लिमिटेड के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर

कार्मिक भागीदारी, कल्याण गतिविधियाँ और सामुदायिक सेवाएँ

1. **विश्व पर्यावरण दिवस**

   5 जून 2023 को टुस्को कार्यालय में और उसके आसपास विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यालय के सभी कर्मचारियों द्वारा आस–पास के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। एसडीएम–गरौठा को भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। सभी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर ट्री गार्ड लगाए गए थे।

2. **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस**

   21 जून 2023 को टुस्को – झांसी के ट्रांजिट कैंप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परियोजना के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण

टुस्को में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की झलकियाँ

पूंजी संरचना और लाभांश

शेयर पूंजी :

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50 करोड़ है। 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी ₹40 करोड़ है। वर्ष के दौरान कंपनी ने टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए को क्रमशः 74:26 के अनुपात में ₹5 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी आबंटित की है।

क्रमांक.	श्रेणी	कुल शेयर	% इक्विटी से :
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	2,96,000	74
2	उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	1,04,000	26
	कुल	**4,00,000**	**100**

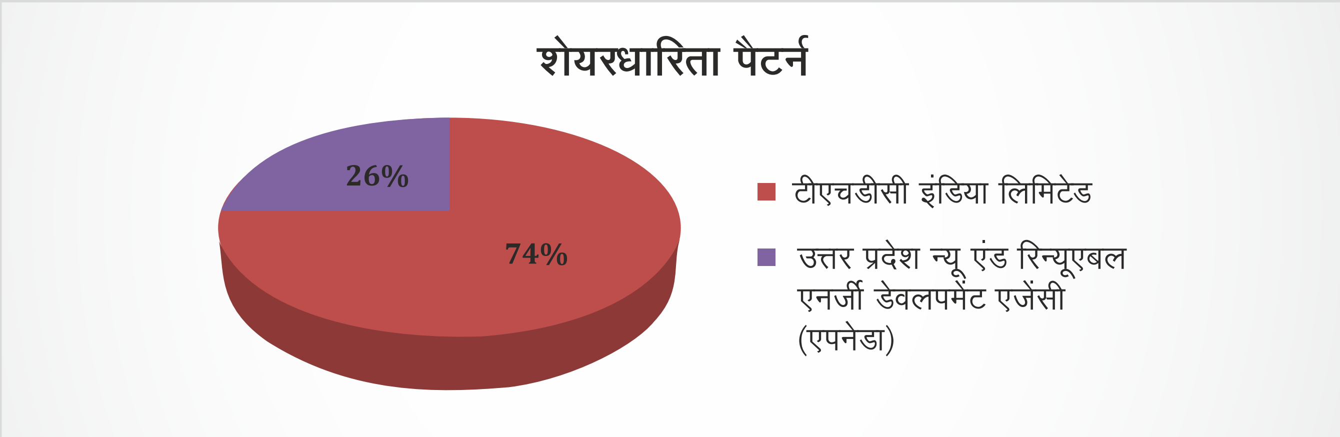

लाभांश :

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश नहीं दिया है क्योंकि कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक कार्यशील नहीं है।

आरक्षित निधियों और अधिशेष का अंतरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी को ₹58.35 लाख की हानि हुई है।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है। वित्तीय वर्ष लिए 2023–24 के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स, 104 – रवीन्द्र गार्डन, सेक्टर–ई, अलीगंज, लखनऊ–226024 को सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

बोर्ड ने 09 मई 2024 को आयोजित अपनी 16वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किया। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा 13 मई 2024 को लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) को प्रस्तुत किए गए थे। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सी एंड एजी टिप्पणियों की एक प्रति और वित्तीय विवरण, रिपोर्ट में संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लेखाओं पर एक अनापत्ति रिपोर्ट दी है। इसलिए, कंपनी के प्रबंधन का उत्तर ''शून्य'' है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा 'न करने' का निर्णय लिया है।

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की प्रति और वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरण संलग्न है।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में धन उपलब्ध करवाने के व्यापार में संलग्न किसी कंपनी द्वारा किए गए ऋण गारंटी अथवा

प्रदत्त प्रतिभूति या अपने सामान्य व्यापार के क्रम में अवसंरचनात्मक कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी में लागू नहीं होते इसलिए जानकारी 'शून्य' है।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(c) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ और हानि की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया था।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए थे।

(ङ) एक सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत थे।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बोर्ड बैठकें	बोर्ड की बैठक की तारीख
1.	11वीं बोर्ड बैठक	15 अप्रैल, 2023
2.	12वीं बोर्ड बैठक	12 मई, 2023
3.	13वीं बोर्ड बैठक	09 सितंबर, 2023
4.	14वीं बोर्ड बैठक	19 दिसंबर, 2023

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, धारित अन्य निदेशक पद/समिति में धारित पद की संख्या का विवरण :

क्र. सं.	निदेशक	आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	धारित अन्य निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य / शेयर धारक
1.	श्री आर.के. विश्नोई, अध्यक्ष	4	4	4	4	–
2	श्री जे. बेहेरा, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल (29.02.2024 को सेवानिवृत्त)	4	4	–	–	–
3.	श्री अतुल जैन, नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल (31.12.2023 को सेवानिवृत्त)	2	2	–	–	–
4.	श्री अनुपम शुक्ला, नामित निदेशक, यूपीनेडा	4	4	8	–	1

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशकों/केएमपी की नियुक्ति/कार्यकाल समापन का विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति/सेवा समाप्ति	नियुक्ति/सेवा समाप्ति की तारीख
निदेशक			
1	श्री अतुल जैन	नियुक्ति	09.09.2023
		सेवा समाप्ति	31.12.2023
2	श्री जे. बेहेरा	सेवा समाप्ति	29.02.2024
3	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	नियुक्ति	09.04.2024
4	श्री संदीप सिंघल	नियुक्ति	09.04.2024
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)			
1	श्री मनोज सरदाना	नियुक्ति	15.04.2023

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गो की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान टुस्को लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोद्दिष्ट किए हैं।

क्रम सं.	केएमपी का नाम
1.	श्री मनोज सरदाना, सीईओ, टुस्को लिमिटेड*
2.	श्री मृदुल दुबे, सीएफओ, टुस्को लिमिटेड
3.	श्री हिमांशु बाजपेयी, कंपनी सचिव, टुस्को लिमिटेड
	*15.04.2023 को नियुक्त

कर्मचारियों की जानकारी

कंपनी की अपेक्षाओं के साथ संरेखण के लिए समय–समय पर जनशक्ति संरचना की पुनरीक्षा की जाती है।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और अध्याय XIII के संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है। चूंकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए जानकारी को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और समझौते

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार अपनी किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण फॉर्म एओसी–2 में किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (h) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) तहत अपेक्षित है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

वर्ष के लिए सूचना शून्य है क्योंकि परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण)

वर्ष 2022–23 के अंत तक प्रक्रिया/जांचाधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2023–24 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2023–24 के अंत तक प्रक्रिया/जांचाधीन मामलों की संख्या
0	0	0	0

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है। हालांकि, कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के बाद जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्र निदेशक के संबंध में घोषणा

आपकी कंपनी को, एक संयुक्त उद्यम कंपनी होने के कारण, दिनांक 05-09-2017 की एम.सी.ए. की अधिसूचना और कंपनी अधिनियम के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार कंपनी की वेबसाइट में प्रकट किया गया है और वार्षिक विवरणी देखने के लिए लिंक निम्नानुसार है:

वार्षिक विवरणी का वेबलिंक: https://tuscoltd.co.in/AnnualReturn

सांविधिक प्रकटीकरण

1. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2024 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए हैं।
2. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार करने और बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।
4. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन या प्रचालन में कोई रिपोर्ट योग्य महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पाई गई।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल, हमारे प्रयासों में एमएनआरई, एसईसीआई, आईआरईडीए, राज्य सरकार और उनके मंत्रालयों, बैंकरों, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट के जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी जिला स्तर के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। मैं उन कृषकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पट्टा विलेख (लीज डीड) के निष्पादन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

आपके निदेशकगण, सभी हितधारकों, व्यवसाय भागीदारों, और टुस्को परिवार के सभी सदस्यों को बोर्ड में उनके विश्वास, भरोसे और आत्मविश्वास के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

आपके निदेशक सभी स्तरों पर टुस्को लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और उत्साह के लिए उनकी हार्दिक सराहना करना चाहते हैं।

इसके अलावा, हम सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना करते हैं और उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं और भविष्य में उनके प्रोत्साहन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की भी अपेक्षा करता हूं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 06.09.2024
स्थान: लखनऊ

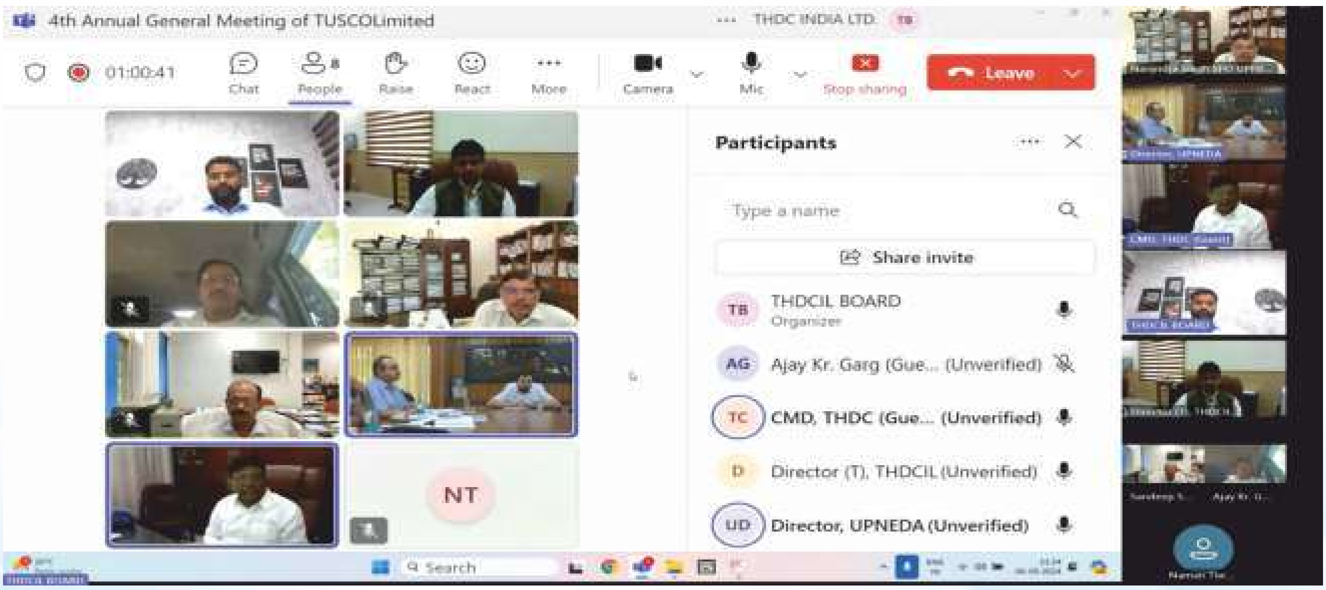

टुस्को लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम बैठक 06.09.2024 को आयोजित की गई

फॉर्म संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (h) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/समझौतों सहित उसके तीसरे परंतुक के तहत कतिपय आर्म्स लैंथ लेन–देन के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

1.	**संविदाओं या समझौतों या लेन–देन, जो आर्म्स लैंथ आधार पर न हो, का ब्यौरा**	**: शून्य**
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	: लागू नहीं
(ख)	संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की प्रकृति	: लागू नहीं
(ग)	संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की अवधि	: लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ङ)	ऐसी संविदाओं या समझौतों या लेनदेन को निष्पादित करने का औचित्य	: लागू नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	: लागू नहीं
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ज)	वह तिथि, जिस पर धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथाअपेक्षित विशेष प्रस्ताव सामान्य बैठक में पारित किया गया था	: लागू नहीं
2.	**महत्वपूर्ण संविदा या समझौता या आर्म्स लैंथ आधार पर लेनदेन का ब्यौरा**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	: लागू नहीं
(ख)	संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की प्रकृति	: लागू नहीं
(ग)	संविदाओं/समझौतों/लेनदेनों की अवधि	: लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	: लागू नहीं
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	: लागू नहीं
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	: शून्य

वित्तीय विवरण
2023–24

सौर ऊर्जा

सतत भविष्य के लिए

31–मार्च–2024 के अनुसार वित्तीय विवरण
सीआईएन U40106UP2020GOI134504

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार लाख में (₹)	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार लाख में (₹)
परिसंपत्ति				
1. **गैर–चालू परिसंपत्तियां**				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		105.31	70.68
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		8,605.35	4,687.60
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		1.74	2.56
(घ) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	2		10,656.84	8,639.70
(ङ) सहायक कंपनी में निवेश		-	-	
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) ऋण		-		
(ii) अन्य	6	-	34.48	1.69
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4क		80.53	64.97
(ज) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	4ख		8.29	4.08
(झ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	4ग		3,080.34	327.78
2. **चालू परिसंपत्तियां**				
(क) इन्वेंटरी			-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) व्यापार प्राप्य		-		
(ii) नकद और नकद समकक्ष	5	1.16		
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	5क	1330.24		
(iv) ऋण		-		
(v) अग्रिम	6	0.00		
(vi) अन्य		-	1331.40	1877.57
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		0.00	0.00
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	8		359.72	331.51
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष		-	-	
कुल			**24,264.00**	**16,008.14**
इक्विटी और देयता				
1. **इक्विटी**				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9		4000.00	3500.00
(ख) अन्य इक्विटी	10		(211.86)	216.50
कुल इक्विटी			3788.14	3716.50
2. **गैर–चालू देयताएं**				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारियां	11क	2,941.38		
(iक) पट्टा देयताएं	11क	10794.81		
((ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं		-	13736.19	8771.35
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	11ख		4830.20	2450.00
(ग) प्रावधान	11ग	-	0.13	0.00
3. **चालू देयताएं**				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधारियां				
(iक) पट्टा देयताएं	12	1,177.48		
(ii) व्यापार देय				
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	12	4.63		
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा	12	400.73		
(iii) अन्य	12	280.04	1862.88	1057.53
(ख) अन्य चालू देयताएं	13		43.14	10.60
(ग) प्रावधान	14		3.32	2.16
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)			0.00	0.00
विनियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष			0.00	0.00
कुल			**24264.00**	**16008.14**

31 मार्च, 2024 के अनुसार वित्तीय विवरण
सीआईएन U40106UP2020GOI134504

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
		लाख में (₹)	लाख में (₹)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1	–	–
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	1	–	–
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	20	–	–
टिप्पणी संख्या 1 से 20 लेखा का अभिन्न अंग हैं			

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(आर के विश्नोई)	**(मनोज सरदाना)**	**(मृदुल दुबे)**	**(हिमांशु बाजपेयी)**
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएन:08534217			सदस्यता संख्या 53310

दिनांकः 11.05.2024
स्थानः ऋषिकेश/लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन006792C

ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्याः–074602

दिनांकः 13.05.2024
स्थानः लखनऊ

लाभ एवं हानि विवरण
01.04.2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
		लाख में (₹)	लाख में (₹)
आय			
सतत प्रचालन से राजस्व		-	-
अन्य आय	16	52.66	40.83
कुल राजस्व		**52.66**	**40.83**
व्यय			
कर्मचारी हित लाभ व्यय	17	123.62	76.26
वित्त लागत		-	-
मूल्यह्रास एवं परिशोधन		-	-
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	19	2.95	2.36
कुल व्यय		**126.57**	**78.62**
कर पूर्व लाभ		**(73.91)**	**(37.79)**
कर व्यय			
चालू कर			
आय कर		-	-
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/देयता	4	(15.56)	(13.12)
कर उपरांत लाभ		**(58.35)**	**(24.67)**
I. निरंतर प्रचालन से अवधि के लिए लाभ		**(58.35)**	**(24.67)**
II. अन्य व्यापक आय			
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
(ii) अन्य व्यापक आय		-	-
कुल व्यापक आय (i+ii)		**(58.35)**	**(24.67)**
सतत प्रचालन से प्रति इक्विटी शेयर आय		(रूपये में)	(रूपये में)
बेसिक		(15.44)	(8.66)
तनुकृत		(15.44)	(8.66)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	1		
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	20		
टिप्पणी संख्या 1 से 20 लेखा का अभिन्न अंग हैं			

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(आर के विश्नोई)	**(मनोज सरदाना)**	**(मृदुल दुबे)**	**(हिमांशु बाजपेयी)**
अध्यक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
डीआईएन:08534217			सदस्यता संख्या 53310

दिनांक: 11.05.2024
स्थान: ऋषिकेश/लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन006792C
ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या:–074602

दिनांक: 13.05.2024
स्थान: लखनऊ

लाभ एवं हानि विवरण
01.04.2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

लाख में (₹)

विवरण		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. प्रचालन गतिविधियो से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		-73.91		-37.79
विनियामक आस्थगन खाते शेष में संचलन सहित कर पूर्व लाभ		-73.91		-37.79
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास	-	-		
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	-	-		
प्रावधान	-	-		
वित्त लागत	-	-		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-		
बैंक जमा पर ब्याज	-52.67		-40.84	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	-	-		
असाधारण मद	0	-52.67	0	-40.84
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालनात्मक लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह		-126.58		-78.63
निम्नलिखित के लिए समायोजनः –				
इन्वेंट्री	-	-		
व्यापार प्राप्य (अबिलीकृत राजस्व सहित)	-	-		
अन्य परिसंपत्तियां	-61.01		-328.1	
ऋण और अग्रिम (चालू+गैर चालू)	-4.21		-1.54	
लघु ब्याज	-	-		
व्यापार देय और देयताएं	3,710.67		4,924.68	
प्रावधान (चालू +गैर चालू)	1.3	-		
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन	-	3,646.75	-	4,595.04
कर पूर्व प्रचालनात्मक गतिवधियों से नकदी प्रवाह		3,520.17		4,516.42
निगमित कर		-	-	
प्रचालनों से निवल नकदी (क)		3,520.17		4,516.42
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तनः–				
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की खरीद	-5,040.76		-5,602.85	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	4.01		10.76	
पूंजी अग्रिम	-2,752.56		-327.78	
बैंक जमा पर ब्याज	52.66		40.83	
विलंबित भुगतान अधिभार	-	-		
नकदी और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष	546.92		-1,877.16	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		-7,189.73		-7,756.20
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	130		1,870.00	
उधारियों की चुकौती–गैर चालू	-		-	
उधारियों से आय–गैर चालू	2,941.38		-	
उधारियां–चालू	-		-	
पट्टा देयता	-849.31		-515.8	
ब्याज और वित्त प्रभार	-931.96		-769.94	
अनुदान	2,380.20		2,400.00	
लाभांश और लाभांश पर कर	0		0	

लाभ एवं हानि विवरण
01.04.2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

लाख में (₹)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	3,670.31	2,984.26
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)	0.75	-255.52
ङ. आरंभिक नकदी और नकदी समकक्ष	0.41	255.93
च. अंतिम नकदी और नकदी समकक्ष (घ+ङ)	1.16	0.41

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर के विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएन:08534217

ह0/–
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह0/–
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

दिनांकः 11.05.2024
स्थानः ऋषिकेश/लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन006792C
ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्याः–074602

दिनांकः 13.05.2024
स्थानः लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी – 31–मार्च–2024 को समाप्त अवधि के लिए

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,500.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		500.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		**4,000.00**

ख. इक्विटी शेयर पूंजी – 31–मार्च–2023 को समाप्त अवधि के लिए

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		2,000.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,500.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		**3,500.00**

ग. अन्य इक्विटी – 31–मार्च–2024 को समाप्त अवधि के लिए

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष– प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
अथ शेष (I)		-	(24.67)	-	(24.67)
अवधि के लिए लाभ			(58.35)		(58.35)
अन्य व्यापक आय			-	-	-
कुल व्यापक आय		-	**(83.02)**	-	**(83.02)**
लाभांश			-		-
लाभांश पर कर			-		-
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**(83.02)**		**(83.02)**
अंत शेष (I+II+III+IV)			**(83.02)**		**(83.02)**

घ. अन्य इक्विटी – 31–मार्च–2023 को समाप्त अवधि के लिए

लाख में (₹)

विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष– प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
अथ शेष (I)		-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ			(24.67)		(24.67)
अन्य व्यापक आय			-	-	-
कुल व्यापक आय		-	**(24.67)**	-	**(24.67)**
लाभांश			-		-
लाभांश पर कर			-		-
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**(24.67)**		**(24.67)**
अंत शेष (I+II+III+IV)		-	**(24.67)**	-	**(24.67)**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर के विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएन:08534217

ह0/–
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह0/–
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

दिनांक: 11.05.2024
स्थान: ऋषिकेश/लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन006792C
ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या:–074602

दिनांक: 13.05.2024
स्थान: लखनऊ

टिप्पणी–1 कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. रिपोर्ट करने वाली इकाई एवं इसकी सामान्य जानकारी

1.1 टुस्को लिमिटेड ("कंपनी") भारत में स्थित कंपनी है और शेयरों (सीआईएन:यू40106यूपी2020 जीओआई134504) द्वारा निगमित है तथा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के शेयर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (74%) और यूपीनेडा (26%) द्वारा धारित हैं। कंपनी का पंजीकृत पता–चौथा तल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226010 है। कंपनी का निगमन भारत और विदेश में सौर पार्कों की पहचान, सर्वेक्षण, योजना, संवर्धन, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया है।

झांसी एसपीपी और ललितपुर एसपीपी की डीपीआर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी जिसे बाद में एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया। चित्रकूट परियोजना की डीपीआर तैयार की गई है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके लिए अनुमोदन प्रतीक्षित है। तीनों परियोजनाओं के किसानों के साथ पट्टा विलेख पंजीकरण अग्रिम चरण में है और 26/04/2024 तक कुल 7941.51 एकड़ भूमि (600 मेगावाट झांसी एसपीपी, 600 मेगावाट ललितपुर एसपीपी और 800 मेगावाट चित्रकूट एसपीपी) अधिग्रहित की गई है, जो इस प्रकार है :–

क्रम सं.	भूमि का विवरण	सोलर पावर पार्क का नाम		
		600 मेगावाट झांसी	600 मेगावाट ललितपुर	800 मेगावाट चित्रकूट
1	कुल आवश्यक भूमि (एकड़ में)	2700	2700	3400
2	अधिग्रहित कुल निजी भूमि (एकड़ में)	2314.7	1020.24	1775.5
3	अधिग्रहित कुल सरकारी भूमि (एकड़ में)	263.77	1317.8	1249.5
4	अधिग्रहित कुल भूमि (एकड़ में) (2+3)	2578.47	2338.04	3025
5	**अधिग्रहित कुल भूमि (%)**	**95.5**	**86.59**	**88.97**

1.2 रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.2.1 अनुपालन का ब्यान

ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

1.2.2 इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

1.2.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

2.1 विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.3 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.4 संविदाओं के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.5 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

4.1 पीपीई को प्रारंभिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत में से मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर, सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/ निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/ निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में संविदाकारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

4.2 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाता है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जो की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.3 महत्वपूर्ण पुर्जो के प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण मरम्मत पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है।

4.4 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

4.5 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

5. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

5.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

5.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देयता के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के ओेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

5.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को 3 वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का

सीधी रेखा विधि द्वारा 33.33 प्रतिशत वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

5.4 अस्थायी उत्थापन को अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में डब्ल्यूडीवी ₹1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

5.5 ₹1500/– से अधिक लेकिन ₹5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

5.6 ₹1500/– तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

5.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

5.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को सीईआरसी विनियमन के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

5.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जो को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 अलग से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.2 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.3 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर–1–एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर–2–मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3–मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के

अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं–बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

9.1 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत विशेष रूप से वित्तीय गैर चालू परिसंपत्तियों के तहत् ''अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों'' के भाग के रूप में 12 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ बैंक जमा अपेक्षित है। निर्देशन टिप्पणी (जीएन) में उल्लिखित है कि परिपक्वता अवधि आगे के 12 माह से अधिक होनी चाहिए।

10. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

10.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देयताओं अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

10.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

10.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

10.4 प्रारंभिक पहचान और माप: सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

10.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

10.6 उत्तरवर्ती माप: प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे उत्तरवर्ती ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

10.7 अमान्यता (डी रिकागनिशन)–किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देयताओं से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती

है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 उत्तरवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देयताओं को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना: किसी वित्तीय देयता को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देयता का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. माल–सूची

12.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

12.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित

किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.3 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.4 संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.5 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.6 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में ₹5,00,000/– या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्चध्आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षो में प्रभारित किया जाता है।

16.2 ₹2.00 करोड़ की पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए गए हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.5 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.6 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों/ दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

कंपनी के कर्मचारी धारक कंपनी से सेकेंडमेंट पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति – उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी नकदीकरण, दीर्घ सेवा पुरस्कार, वित्तीय लाभ स्कीम एवं अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं। धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में, कंपनी, कंपनी में प्रदान की सेवा अवधि के लिए पीएफ और पेंशन स्कीम के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के समग्र का अंशदान करती है। अन्य टर्मिनल हितलाभों के लिए, कंपनी धारक कंपनी के परामर्श के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। वास्तविक लाभ/हानियों, यदि कोई हों, को धारक कंपनी द्वारा परिकलित किया जाता है।

एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में टीएचडीसीआईएल की सहायक कंपनी होने के नाते, टुस्को लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के रूप में टुस्को लिमिटेड के पेरोल पर 2 स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की है। कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने अपनी 13वीं बोर्ड बैठक में पारित और अनुमोदित किया है कि टुस्को लिमिटेड टीएचडीसीआईएल की नीतियों/दिशा–निर्देशों द्वारा शासित होगी और टीएचडीसीआईएल की सभी मानव संसाधन नीतियां और दिशानिर्देश, सेवा नियम और सेवा शर्तें, भर्ती नीतियां, स्थायी आदेश, शक्तियों का प्रत्यायोजन/उप प्रत्यायोजन, वित्तीय नियम, माल और सेवाओं की खरीद के लिए नीतियां तथा प्रक्रियाएं और कार्य एवं सेवाएं, कार्य मैनुअल आदि टुस्को लिमिटेड पर भी लागू होंगे।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है।

तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपप्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्ह्ति की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग

के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रू॰ से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दरों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 **चालू आयकर–**आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देयताओं में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरुप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है।

ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक पहचान से उद्‌भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से

लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं तथा तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देयताओं में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देयता निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देयता को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देयताओं के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

24. प्रति शेयर आय

24.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

25. लाभांश

25.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

26. विविध

26.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

26.2 कंपनी ने संबंधित प्राधिकरण को बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान की है, जो कंपनी के बैंकर द्वारा जारी की गई है और बैंकिंग नीति के अनुसार ब्याज सहित एफडीआर द्वारा समर्थित है। एफडीआर और ब्याज को इंड एएस 7 के अनुसार टुस्को लिमिटेड खाते में दर्ज किया गया है।

26.3 इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

संशोधन के परिणामस्वरूप 'महत्वपूर्ण (सिग्निफिकेंट)' शब्द को 'महत्वपूर्ण (मटेरियल)' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी महत्वपूर्ण (मटेरियल) लेखांकन नीति संबंधी जानकारी का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि 'महत्वपूर्ण (मटेरियल)' को इंड एएस में परिभाषित किया गया है और हितधारकों द्वारा अच्छी तरह से समझा जाता है। साथ ही, यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि लेखांकन नीति संबंधी जानकारी महत्वपूर्ण (मटेरियल) है या नहीं।

27.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्‌भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टुस्को लिमिटेड कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी बैंक जमाओं से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

उन जोखिमों का प्रबंधन (शमन)

उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

कंपनी, बैंकों, जिनमें शेष एवं जमा रखे जाते हैं, का चयन करने में ट्रैक रिकॉर्ड, बाजार प्रतिष्ठा और सेवा मानक तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन जैसे कारकों पर विचार करती है।

चलनिधि जोखिम

भावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन, आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्धता बनाए रखने में निहित है।

टिप्पणी :–2

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती दर्शाते हैं)

लाख (रु.) में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 तक
क. संपत्ति संयंत्र और उपकरण									
अन्य परिसंपत्तियां									
1. फ्रीहोल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अस्थायी भवन संरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ड्रेनेज, सीवरेज और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईडीपी मशीनें	31.95	28.13	1.35	58.73	11.45	18.28	0.96	28.77	29.96
10. विद्युत प्रतिष्ठान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. पारेषण लाइनें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	24.88	19.49	1.47	42.91	3.18	9.84	0.14	12.88	30.02
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	32.89	24.06	1.19	55.76	4.41	6.04	0.02	10.43	45.33
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक वर्क्स–बांध और स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक वर्क्स–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	**89.73**	**71.68**	**4.01**	**157.39**	**19.04**	**34.16**	**1.11**	**52.09**	**105.31**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति									
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	4.13	0.00	0.00	4.13	1.57	0.83	0.00	2.39	1.74
उप योग	**4.13**	**-**	**-**	**4.13**	**1.57**	**0.83**	**-**	**2.39**	**1.74**
ग. उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति									
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	9,085.41	2,509.86	0.00	11,595.27	463.47	485.21	0.00	948.68	10,646.58
2. उपयोग का अधिकार – भवन	37.51	0.00	0.00	37.51	19.75	7.50	0.00	27.26	10.26
3. उपयोग का अधिकार – वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	**9,122.92**	**2,509.86**	**-**	**11,632.78**	**483.23**	**492.71**	**-**	**975.94**	**10,656.84**
कुल									

मूल्यहास का विवरण	चालू वर्ष
ई.डी.सी में अंतरित मूल्यहास	527.70
पी एंड एल विवरण में अंतरित मूल्यहास	-
वर्ष के दौरान ₹1500.00 से अधिक परंतु ₹5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यहास किया गया	**0.49**

टिप्पणी:–2

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती का प्रतिनिधित्व करते हैं)

लाख (रु.) में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2022 तक	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 तक	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति संयंत्र और उपकरण									
अन्य परिसंपत्तियां									
1. फ्रीहोल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अस्थायी भवन संरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ड्रेनेज, सीवरेज और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईडीपी मशीनें	21.86	12.77	-2.69	31.95	7.00	5.59	-1.14	11.45	20.50
10. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारेषण लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	12.54	15.17	-2.82	24.88	0.52	1.59	1.07	3.18	21.70
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	19.22	18.94	-5.27	32.89	1.96	2.68	-0.23	4.41	28.49
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक वर्क्स–बांध और स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक वर्क्स–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	**53.62**	**46.88**	**-10.77**	**89.73**	**9.48**	**9.86**	**-0.30**	**19.04**	**70.69**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति									
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	4.13	0.00	0.00	4.13	0.74	0.83	0.00	1.57	2.56
उप योग	**4.13**	**-**	**-**	**4.13**	**0.74**	**0.83**	**-**	**1.57**	**2.56**
पिछली अवधि के लिए आंकड़े									
ग. उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति									
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	5,069.70	4,015.71	0.00	9,085.41	114.63	348.85	0.00	463.47	8,621.94
2. उपयोग का अधिकार – भवन	37.51	0.00	0.00	37.51	12.25	7.50	0.00	19.75	17.76
3. उपयोग का अधिकार – वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	**5,107.21**	**4,015.71**	**-**	**9,122.92**	**126.88**	**356.35**	**-**	**483.23**	**8,639.70**
कुल								**54.06**	

मूल्यह्रास का विवरण	चालू वर्ष
ई.डी.सी में अंतरित मूल्यह्रास	367.03
पी एंड एल विवरण में अंतरित मूल्यह्रास	-
वर्ष के दौरान ₹1500.00 से अधिक परंतु ₹5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	**0.28**

टिप्पणी:–3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन और अन्य सिविल कार्य		469.15	739.34	-	-	1,208.49
सड़कें, पुल और पुलिया		-	-	-	-	-
जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज		-	-	-	-	-
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक वर्क्स, बांध, स्पिलवे, जल चैनल, वियर, सर्विस गेट और अन्य						
हाइड्रोलिक वर्क्स		-	-	-	-	-
विद्युत प्रतिष्ठान और उप–स्टेशन						
उपकरण	-	-	-	-	-	
अन्य	-	-	-	-	-	
लंबित व्यय आबंटन						
सर्वेक्षण और विकास व्यय		235.72	7,160.36	0	0	7,396.08
निर्माण के दौरान व्यय	15	3,982.72	2,818.40	0	0	6,801.12
घटाएं: पीएंडएल में आबंटित/प्रभारित निर्माण के दौरान का व्यय		0.00	6,800.34	0	0	6,800.34
कुल		**4,687.58**	**3,917.76**	-	-	**8,605.35**
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति		0	0	0	0	0

(1) 31.03.2024 और 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेईंग अनुसूची निम्नानुसार है:

परियोजना	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि 1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
i) प्रगति पर परियोजनाएं	3,917.75	2,676.95	1,370.05	640.60	8,605.35
ii) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
i) प्रगति पर परियोजनाएं	2,676.95	1,370.05	640.60	-	4,687.60
ii) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

टिप्पणी :–4क

आस्थगित कर परिसंपत्ति

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्ति*		80.53	64.97
कुल		**80.53**	**64.97**

*लेखाओं पर टिप्पणी संख्या (20) के अनुसार अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां (उप बिंदु 5)

टिप्पणी :–4ख

गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत			
i) अन्य		0.00	0.00
ii) अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज		0.00	0.00
जमा किया गया कर			
- काटा गया टीडीएस (ब्याज राशि पर पीएनबी बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस)		8.29	4.08
कुल		**8.29**	**4.08**

टिप्पणी :–4ग

अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत			
I) अन्य		3,079.50	327.78
ii) अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज		0.84	0.00
		3,080.34	327.78
कुल		**3,080.34**	**327.78**

टिप्पणी :–5

नकदी और नकदी समकक्ष

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
नकदी और नकदी समकक्ष			
बैंक में जमा राशि (ऑटो स्वीप सहित) – पंजाब नेशनल बैंक विभूतिखंड (खाता संख्या 6194002100000270) – 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ।		1.16	0.41
कुल		**1.16**	**0.41**

टिप्पणी :–5क

नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
अन्य बैंक शेष			
बैंक के पास जमा राशि (ऑटो स्वीप सहित) – पंजाब नेशनल बैंक विभूतिखंड (खाता संख्या 6194002100000270) – 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ।		1,330.24	1,877.16
कुल		**1,330.24**	**1,877.16**

टिप्पणी: –6
चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूति जमा राशि		2.33	1.69
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां		32.15	0.00
कुल		**34.48**	**1.69**

टिप्पणी: –7
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
जमा किया गया कर			
– अग्रिम कर		0.00	0.00
कुल		**0.00**	**0.00**

टिप्पणी: –8
अन्य चालू परिसंपत्तियां

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
पूर्वदत्त व्यय		358.92	330.72
अर्जित ब्याज		-	-
निपटान हेतु धारित बीईआर परिसंपत्तियां		-	-
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत		-	-
उप–योग		**358.92**	**330.72**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)			
कर्मचारियों के लिए		0.80	0.79
अन्य के लिए		-	-
उप–योग – अन्य अग्रिम		**0.80**	**0.79**
कुल		**359.72**	**331.51**

टिप्पणी: –9
शेयर पूंजी

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
अधिकृत					
₹1000/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर		5,00,000	5,000.00	5,00,000	5,000.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त		4,00,000	4,000.00	3,50,000	3,500.00
₹1000/– प्रति पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**4,00,000**	**4,000.00**	**3,50,000**	**3,500.00**

टिप्पणी: –9.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता					
I. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		2,96,000	74	2,59,000	74
II. यूपीनेडा		1,04,000	26	91,000	26
कुल		**4,00,000**	**100**	**3,50,000**	**100**

टिप्पणी: –9.2

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	लाख (रु.) में	शेयर की संख्या	लाख (रु.) में
अधिकृत					
₹1000/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर		5,00,000	5,000.00	5,00,000	5,000.00
प्रारंभिक		3,50,000	3,500.00	2,00,000	2,000.00
निर्गत		50000	500.00	1,50,000	1,500.00
अंत शेष		**4,00,000**	**4,000.00**	**3,50,000**	**3,500.00**

टिप्पणी: कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका सममूल्य ₹1,000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में मताधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी: –10

अन्य इक्विटी

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन		-	370.00
प्रतिधारित आय		(211.86)	(153.51)
अन्य व्यापक आय		-	-
कुल		**(211.86)**	**216.49**

टिप्पणी: –10.1

आरक्षित एवं अधिशेष

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक जमा		(153.51)	(128.83)
वर्ष के लिए लाभ		(58.35)	(24.67)
कुल		**(211.86)**	**(153.51)**

टिप्पणी: –10.2

प्रमोटरों की शेयरधारिता

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता					
I. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		2,96,000	74	2,59,000	74
II. यूपीनेडा		1,04,000	26	91,000	**26**
कुल		**4,00,000**	**100**	**3,50,000**	**100**

टिप्पणी: –11क

गैर चालू–वित्तीय देयताएं–उधार

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. प्रतिभूत			
संस्थानों/बैंकों से सावधि ऋण आरईसीएल से उधार (600 मेगावाट झांसी सौर ऊर्जा पार्क, टुस्को लिमिटेड के लिए) (वर्तमान में परिवर्तनीय कार्ड ब्याज दर @8.65% वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ मासिक किस्त पर 18 वर्ष के भीतर चुकौती योग्य)		2,941.38	0
ख. पट्टा दायित्व			
अप्रतिभूत		11,972.29	9,381.03
कुल		**14,913.67**	**9,381.03**
घटाएं:			
चालू परिपक्वता:			
पट्टा दायित्व– अप्रतिभूत		1,177.48	609.68
कुल		**13,736.19**	**8,771.35**

टिप्पणी: –11ख

अन्य गैर–चालू देयताएं

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
देयताएं			
एमएनआरई से अनुदान		4,830.20	2,450.00
कुल		**4,830.20**	**2,450.00**

टिप्पणी: –11ग

गैर चालू प्रावधान

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

लाख (रु.) में

		31 मार्च, 2024 तक को समाप्त अवधि के लिए				
विवरण	टिप्पणी संख्या	01–04–2023 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारी संबंधी		-	0.13	0.00	0.00	0.13
II. अन्य		0.00	0.00	-	-	-
कुल		**-**	**0.13**	**-**	**0.00**	**0.13**

टिप्पणी: –12

चालू – वित्तीय देयताएं – अन्य

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता			
(क) पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता– अप्रतिभूत		1,177.48	609.68
कुल		**1,177.48**	**609.68**
व्यापार देयताएं			
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		4.63	3.60
ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया बकाया		400.73	81.85
		405.36	**85.45**

देयताएं			
व्यय के लिए			
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	0		
अन्य के लिए			
– कार्य पूंजी के लिए विविध ऋणदाता			
– सेवा पूंजी के लिए विविध ऋणदाता			
– होल्डिंग कंपनी को देय			
–अन्य	0		
		0.00	209.21
संविदाकारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि आदि।	280.04		
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि	-	280.04	153.19
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		-	-
ब्याज अर्जित किंतु अदेय		-	-
कुल		**685.40**	**447.86**
कुल देयताएं		**1,862.88**	**1,057.53**

टिप्पणी: –13
अन्य चालू देयताएं

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
देयताएं			
अनुदान		0.00	0.00
अन्य देयताएं		27.57	2.45
आयकर टीडीएस देय		8.87	7.19
जीएसटी टीडीएस		5.16	0.00
सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी (रिवर्स प्रभार)		1.54	0.96
कुल		**43.14**	**10.60**

टिप्पणी: –14
चालू प्रावधान
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

लाख (रु.) में

		31 मार्च, 2024 तक को समाप्त अवधि के लिए				
विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**01–04–2023 तक**	**परिवर्धन**	**समायोजन**	**उपयोग**	**31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार**
I. कार्य		-	-	-	-	-
II. कर्मचारी संबंधी		-	0.71	-	-0.09	0.62
III. अन्य - सांविधिक लेखा परीक्षक (टीडीएस के बाद 2.16 लाख) और आंतरिक लेखा परीक्षक (टीडीएस के बाद 0.54 लाख रूपये)		2.16	2.70	-2.16	-	2.70
कुल		**2.16**	**3.41**	**-2.16**	**-0.09**	**3.32**

टिप्पणी : –15

निर्माण के दौरान व्यय

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	17				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		753.08		672.42	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान		64.54		57.73	
पेंशन निधि		48.26		51.43	
उपदान		48.39		11.57	
कल्याण		22.76		11.39	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय					
लागत		0.00	937.04	-	804.54
अन्य व्यय	19				
किराया					
कार्यालय का किराया		4.53		2.50	
कर्मचारी आवास का किराया		0.00	4.53	0.28	2.78
दर और कर			0.03		-
बिजली और ईंधन			1.88		0.94
बीमा			0.00		-
संचार			11.61		8.35
मरम्मत और अनुरक्षण					
संयंत्र और मशीनरी		-		-	
सामग्री और कलपुर्जो की खपत		-		-	
भवन		0.18		0.90	
अन्य		4.45	4.62	5.64	6.54
यात्रा एवं परिवहन			28.08		14.74
वाहन किराये पर लेना और चलाना			68.52		53.46
प्रतिभूति			0.00		0.09
प्रचार एवं जनसंपर्क			5.03		1.62
अन्य सामान्य व्यय			301.85		196.36
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.00		0.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.00		2.02
अन्य ब्याज	18		931.96		769.94
मूल्यह्रास	2		527.70		367.03
कुल व्यय (क)			**2,822.84**		**2,228.40**

टिप्पणी : –15
निर्माण के दौरान व्यय

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
प्राप्तियां					
अन्य आय					
ब्याज					
अन्य से		0.16	0.16	0	0
किराया प्राप्तियां	16		3.78		3.76
विविध प्राप्तियां	16		0.50		0.04
कुल प्राप्तियां (ख)			**4.44**		**3.80**
कर–पूर्व निवल व्यय			**2,818.40**		**2,224.60**
कराधान के लिए प्रावधान			-		-
कराधान सहित निवल व्यय			**2,818.40**		**2,224.60**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			-		-
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			3,982.72		1,758.12
कुल ईडीसी			**6,801.12**		**3,982.72**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी			6,800.34		-
लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की ई.डी.सी.			-		-
सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित की गई शेष राशि			**0.78**		**3,982.72**

टिप्पणी : –16
अन्य आय

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31–मार्च–2024 को समाप्त अवधि के लिए		31–मार्च–2023 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर		52.66		40.83	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम–					
प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन					
ब्याज	-		-		
अन्य – बैंक से ब्याज		0.16	52.82	-	40.83
किराया प्राप्तियां			3.78		3.76
विविध प्राप्तियां			0.50		0.04
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			-		-
कुल			**57.10**		**44.62**
घटाएं:					
ईडीसी में अंतरित	15		4.44		3.80
कुल			**52.66**		**40.83**

टिप्पणी: –17

कर्मचारी हितलाभ व्यय

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		876.71	748.68
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		64.54	57.73
पेंशन निधि		48.26	51.43
उपदान		48.39	11.57
कल्याण व्यय		22.76	11.39
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			
कर्मचारी लागत		-	-
कुल		**1,060.66**	**880.80**
घटाएं:			
ईडीसी में अंतरित	15	937.04	804.54
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		876.71	748.68
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		64.54	57.73
पेंशन निधि		48.26	51.43
उपदान		48.39	11.57
कल्याण व्यय		22.76	11.39
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			
कर्मचारी लागत		-	-
कुल		**123.62**	**76.26**

टिप्पणी: –18

वित्त लागत

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए
वित्त लागत			
बांड पर ब्याज		-	-
घरेलू ऋण पर ब्याज		-	-
विदेशी ऋण पर ब्याज		-	-
नकद ऋण पर ब्याज		-	-
एफईआरवी		-	-
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान		-	-
अन्य ब्याज*		931.96	769.94
कुल		**931.96**	**769.94**
घटाएं:–			
ईडीसी में अंतरित अन्य ब्याज		931.96	769.94
कुल		-	-

* अन्य ब्याज में पट्टा दायित्व पर ब्याज घटक शामिल है

टिप्पणीः –19

उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

लाख (रु.) में

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए
किराया				
कार्यालय का किराया		4.53		2.50
कर्मचारियों के आवास का किराया		0.00	4.53	0.28
दर और कर			0.03	0.00
बिजली और ईंधन			1.88	0.94
बीमा			0.00	0.00
संचार			11.61	8.35
संयंत्र और मशीनरी		-		0.00
सामग्री और कलपुर्जो की खपत		-		0.00
भवन		0.18		0.90
अन्य		4.45	4.62	5.64
				0.00
यात्रा एवं परिवहन			28.08	14.74
वाहन किराये पर लेना और चलाना			68.52	53.46
प्रतिभूति			0.00	0.09
प्रचार एवं जनसंपर्क			5.03	1.62
अन्य सामान्य व्यय*			301.85	196.36
लेखा परीक्षकों को भुगतान			2.95	2.36
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.00	2.02
प्रारंभिक व्यय, बट्टे खाते में डाला गया				
कुल			**429.10**	**289.24**
घटाएंः–				
ईडीसी में अंतरित	15		426.15	286.88
कुल			**2.95**	**2.36**

** इसमें व्यावसायिक शुल्क, जनशक्ति की आउटसोर्सिंग और ट्रांजिट कैम्प व्यय आदि शामिल हैं।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. **पूंजी प्रतिबद्धता –**

   1.1 निष्पादित (अग्रिमों का निवल) की जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (पूंजी प्रतिबद्धता) ₹18673.98 लाख (विगत वर्ष ₹411.98 लाख) हैं।

2. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफ डी आर प्राप्त कर रही हैं । कंपनी ने ₹0.62 लाख (विगत वर्ष ₹0.00 लाख) की एफडीआर ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है, इसके अलावा, टिप्पणी 12 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार संविदाकारों से ₹280.04 लाख (विगत वर्ष ₹153.19 लाख) की राशि प्राप्त की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में कंपनी के बैंकर द्वारा जारी उचित प्राधिकरण को ₹32.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) की बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान की है और यह बैंक की प्रचलित ब्याज दर नीति के अनुसार ब्याज सहित एफडीआर द्वारा समर्थित है।

3. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(I) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
यूपीनेडा	भारत
एनटीपीसी (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की धारक कंपनी)	भारत

(ii) कार्यात्मक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष	06.08.2021 से
2	श्री जे. बेहेरा	नामित निदेशक	12.09.2020 से 29.02.2024 तक
3	श्री अनुपम शुक्ला	नामित निदेशक	12.07.2022 से
4	श्री अतुल जैन	नामित निदेशक	09.09.2023 से 31.12.2023 तक
5	श्री मनोज सरदाना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15.04.2023 से
6	श्री मृदुल दुबे	सीएफओ	06.01.2023 से
7	श्री हिमांशु बाजपेयी	कंपनी सचिव	08.10.2020 से

(iii) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 12.09.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है, जिसका नियंत्रण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास है, जो इसके अधिकांश शेयरों की धारक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति :–

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	एनटीपीसी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की धारक कंपनी
2	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	धारक कंपनी (74.00 प्रतिशत)
3	यूपीनेडा	शेयर होल्डर (26.00 प्रतिशत)

(iv) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है: *(राशि रु. लाख में)*

कंपनी/पार्टी का नाम	कंपनी द्वारा संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष अवधि के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष अवधि के लिए
यूपीनेडा	संदत्त कार्यालय पट्टा किराया और बिजली शुल्क आदि	8.19	13.72
	इक्विटी शेयर पूंजी के आबंटन के लिए प्राप्त अंशदान	130.00	390.00
यूपीआरएनएन	सीमा बाड़ाबंदी के निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संविदा से संबंधित संव्यवहार	308.49	796.93
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	किराया व्यय सीपीएफ, जीएसएलआई, पेंशन आदि जैसे सांविधिक देय के लिए संदत्त राशि	629.62	94.59
	इक्विटी शेयर पूंजी के आबंटन के लिए प्राप्त अंशदान	0.00	1480.00
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	जनशक्ति की आउटसोर्सिंग	5.08	12.58
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)	जनशक्ति की आउटसोर्सिंग	132.33	8.93
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल)	परामर्श सेवाएँ और सोलर पार्क झांसी में आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली का निर्माण	2553.93	0.00
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल)	600 मेगावाट झांसी सोलर पावर पार्क के लिए दीर्घकालिक ऋण की प्राप्ति	2900.00	0.00
		105.22	0.00
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	600 मेगावाट ललितपुर सोलर पावर पार्क के लिए परियोजना वित्तीय समीक्षा/डीपीआर का मूल्यांकन	5.90	0.00

(v) संबंधित पक्षकारो के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(राशि रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष अवधि के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष अवधि के लिए
बकाया राशि:		
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को देय	185.60	206.57
यूपीनेडा को देय	1040.00	0.79
पीजीसीआईएल को देय	0.00	0.00
यूपीआरएनएन लिमिटेड को देय	215.20	188.67
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड झांसी को देय	0.00	3.16
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड को देय	16.31	5.99
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल) को देय	2941.38	0.00

vi) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय ₹123.62 लाख है।

(राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	107.78	65.29
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	15.84	10.97
3	सेवांत लाभ	0	0
4	शेयर आधारित भुगतान	0	0
	कुल योग	**123.62**	**76.26**

(I) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्ते :

(a) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तो पर और बाजार दरों पर आर्म्स लैंथ मूल्य दर्शाते हुए किया जाता है।

4. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक एवं तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

(राशि रु. लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
करोपरांत निवल लाभ (रुपये लाख)	(58.35)	(24.67)
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है।	378005.46	285479.45
प्रति शेयर आय	(रु. में)	(रु. में)
– बेसिक	(15.44)	(8.66)
– तनुकृत	(15.44)	(8.66)
प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये	1000	1000

5. कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एस 12 "आयकर" के अनुसरण में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में ₹15.56 लाख (₹80.53 लाख – ₹64.97 लाख) की निवल वृद्धि को लाभ एवं हानि के विवरण में दर्ज किया गया है।

(राशि रु. लाख में)

विवरण	मार्च, 2024 के अनुसार	मार्च, 2023 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्ति	80.53	64.97
कुल	**80.53**	**64.97**

(*राशि रु. लाख में*)

आस्थगित कर की गणना	31.03.2024	31.03.2023
क) मूल्यह्रास के कारण परिसंपत्तियां		
आयकर अधिनियम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	126.79	75.11
बही के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का डब्ल्यूडीवी	107.04	73.25
अंतर	**19.75**	**1.86**
ख) प्राथमिक व्ययों के कारण परिसंपत्तियां		
भविष्य में कटौती योग्य के रूप में अनुमेय प्राथमिक व्यय		
ग) भविष्य में अनुमेय अनावशेषिक हानियां	8.00	16.00
	292.22	232.02
अस्थायी अंतर	**300.22**	**248.02**
अस्थायी अंतरों की निवल राशि	**319.97**	**249.88**
कर की दर	25.168%	26%
अस्थगित कर परिसंपत्ति	**80.53**	**64.97**

6. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम एस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2024 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(i) दिनांक 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार व्यापार देय एजेइंग शेड्यूल

दिनांक 31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार

(*राशि रु. लाख में*)

विवरण		भुगतान की देय तारीख निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(I)	एमएसएमई	4.63	0.00	0.00	0.00	4.63
(ii)	अन्य	400.73	0.00	0.00	0.00	400.73
(iii)	विवादित देय–एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	विवादित देय–अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31–मार्च–2023 तक की स्थिति के अनुसार

(*राशि रु. लाख में*)

विवरण		भुगतान की देय तारीख निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(I)	एमएसएमई	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
(ii)	अन्य	81.85	0.00	0.00	0.00	81.85
(iii)	विवादित देय–एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	विवादित देय–अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

(क) कंपनी ने इंड एएस के प्रारम्भिक अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय अपनाए हैं।

(i) समान तारीख के साथ समान आर्थिक परिवेश में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के एक पोर्टफोलियों के लिए एकल डिस्काउंट दर लागू की। तथापि, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित परिसंपत्तियों पर छूट दर को संशोधित किया जाता है, उन परिसंपत्तियों पर संशोधित छूट दर लागू होती है।

(ii) आरम्भिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम की पट्टा अवधि पट्टों और कम मूल्य वाले पट्टों के लिए परिसंपत्ति और देयताओं के उपयोग के अधिकारी को मान्य न करने को छूट दी।

(iii) आरम्भिक अनप्रयोग की तारीख को परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मापन से आरम्भिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो, को शामिल किया।

(iv) ये पट्टे पट्टा अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किए जाते हैं।

(ख) कंपनी ने पट्टा दायित्व और परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के समकक्ष राशि के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में ₹2508.61 लाख (₹3975.03 लाख) की राशि मान्य की गई है।

(ग) इंड एएस 116 के अंतर्गत मान्य पट्टा दायित्वों के लिए लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.93% (विगत वर्ष 7.88%) है।

पट्टाधारी के रूप में कंपनी

(i) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं: दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार

(राशि रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अथशेष	9381.03	5151.86
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	2508.61	3975.03
–वर्ष के दौरान ब्याज लागत	931.96	769.94
–पट्टा देयताओं का भुगतान	849.31	515.8
–अंत शेष	11972.29	9381.03
–चालू	1177.48	609.68
–गैर–चालू	10794.81	8771.35

(ii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण *(राशि रु. लाख में)*

सविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
3 माह या कम	294.37	152.42
3–12 माह	883.11	457.26
1–2 वर्ष	1177.48	611.44
2–5 वर्ष	3709.05	1868.48
5 वर्ष से अधिक	21649.65	18045.30
31 मार्च, 2024 को पट्टा देयताएं	27713.65	21134.90

(iii) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है। *(राशि रु. लाख में)*

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास	492.71	356.35
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	931.96	769.94

(iv) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है : *(राशि रु. लाख में)*

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
पट्टों के लिए नकदी बहिर्वाह	849.31	515.80
पट्टा करों के सापेक्ष अग्रिम	358.93	330.72

8. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधक वर्ग की राय के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

9. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित) *(राशि रु. लाख में)*

		2023-24	2022-23
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.36	2.36
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)		
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.00	0.59
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		
*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन			

10. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:–

(राशि रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024	31.03.2023
नकद तथा नकदी समतुल्य	5	1.16	0.41
जोड़ेः लियन के तहत बैंक शेष		0.00	0.00
घटायें: ओवर ड्राफ्ट शेष		0.00	0.00
नकद प्रवाह वितरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		1.16	0.41

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में विशेष रूप से 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियों को वित्तीय, गैर–चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के भाग के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता है। मार्गदर्शी टिप्पणी (जीएन) में उल्लेख किया गया है कि परिपक्वता को 12 माह से अधिक की शेष परिपक्वता के रूप में समझा जाना चाहिए। (टिप्पणी:–6 देखें)

ग) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि रु. लाख में)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह 2023–24	आरंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
शेयर पूंजी जारी सदस्यता प्राप्त एवं प्रदत्त	3,870.00	130.00	4000.00	130.00	टीएचडीसीआईएल से ₹96.20 लाख और यूपीनेडा से ₹33.80 लाख
पट्टा दायित्व	9381.03	(2598.67 -849.30)	11980	-849.31	पट्टे के लिए किसानों को किया गया भुगतान
अनुदान	2,450.00	2,380.00	4,830.00	2,380.00	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से ललितपुर सोलर पावर पार्क के लिए ₹2400.00 लाख और चित्रकूट की डीपीआर

(राशि रु. लाख में)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह 2023–24	आरम्भिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
					के लिए ₹25.00 लाख केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त हुए और बैंक से सीएफए पर प्राप्त ब्याज ₹30.19 लाख है।
उधारी	0	2,941.38	2,941.4	2,941.38	आरईसीएल से ऋण के लिए ₹2900.00 लाख प्राप्त हुए हैं और ऋण पर पूंजीकृत संचित ब्याज ₹41.38 लाख है।
वित्तपोषण से निवल नकद प्रवाह	15,701.03	5,153.67	20,855	5,153.67	

11. **इंड एएएस 19 के प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण**

कंपनी के सभी कर्मचारी धारक कंपनी–टीएचडीसीआईएल से सेकेंडमेंट के आधार पर हैं। कर्मचारी हितलाभ में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), सेवानिवृत्ति–उपरांत चिकित्सा सुविधाएं, क्षतिपूर्तित अनुपस्थिति शामिल हैं एवं अन्य टर्मिनल लाभ धारक कंपनी के साथ समझौते के संदर्भ में हैं। कंपनी अपनी धारक कंपनी, जो इन कोषों को संबंधित न्यासों के माध्यम से अनुरक्षित करती है, के माध्यम से उपरोक्त स्कीमों में निर्धारित अंशदान करती है। तदनुसार, इन कर्मचारित हितलाभों को परिभाषित अंशदान स्कीम के रूप में माना जाता है (टिप्पणी संख्या 17 का अवलोकन करें)।

एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में टीएचडीसीआईएल की सहायक कंपनी होने के नाते, टुस्को लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के रूप में टुस्को लिमिटेड के पेरोल पर 2 स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की है। कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने अपनी 13वीं बोर्ड बैठक में पारित और अनुमोदित किया है कि टुस्को लिमिटेड टीएचडीसीआईएल की नीतियों/दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी और टीएचडीसीआईएल की सभी मानव संसाधन नीतियां और दिशानिर्देश, सेवा नियम और सेवा शर्तें, भर्ती नीतियां, स्थायी आदेश, शक्तियों का प्रत्यायोजन/उप प्रत्यायोजन, वित्तीय नियम, माल और सेवाओं की खरीद के लिए नीतियां तथा प्रक्रियाएं और कार्य एवं सेवाएं, कार्य मैनुअल आदि टुस्को लिमिटेड पर भी लागू होंगे।

ख) **परिभाषित अंशदान योजनाएं:**

कंपनी का बीमांकिक मूल्यांकन, इंड एएस 19 के अनुसार, कर्मचारियों की उपदान देयता, अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, विदाई उपहार, अन्य–सामान भत्ता/दीर्घ सेवा पुरस्कार/एफबीएस देयता की बीमांकिक देयता की वित्तीय स्थिति और आवश्यक प्रकटीकरण आंकड़ों की पहचान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

ग) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:**

(i) **उपदान (ग्रेच्युटी):** कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(ii) **छुट्टी का नकदीकरण:** अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

सारणी–1: निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	31.03.2024
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)
छूट की दर	7.10
भावी वेतन वृद्धि	6.50

जोखिम एक्सपोजर का ब्यौरा : मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है:

(क) **वेतन वृद्धि**–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देयता बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देयता भी बढ़ जाती है।

(ख) **निवेश जोखिम**–यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिलाभ होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) **छूट दर**– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देयता बढ़ा सकती है।

(घ) **मृत्यु और विकलांगता**–मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) **आहरण**–वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी–2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(राशि रु. लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति उपहार	अन्य सामान भत्ता/ दीर्घ सेवा पुरस्कार एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	0	0	0	0	0
ब्याज लागत	0	0	0	0	0
पिछली सेवा की लागत	0	0	0	0	
वर्तमान सेवा लागत	0.12	0.45	0.18	0.00	0.07
लाभ का भुगतान	0	0	0	0	0
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0	0	0	0	0
वर्ष के अंत में पी वी ओ	0.12	0.45	0.18	0.00	0.07

सारणी–3 तुलन – पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(राशि रु. लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति उपहार	अन्य सामान भत्ता/ दीर्घ सेवा पुरस्कार एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के प्रारंभ में पीवीओ	0	0	0	0	0
वर्ष के अंत में पीवीओ	0.12	0.45	0.18	0.00	0.07
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0	0	0	0
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	0	0	0	0	0
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	0	0	0	0	0
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि	0	0	0	0	0
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	(0.12)	(0.45)	(0.18)	(0.00)	(0.07)

सारणी–4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(राशि रु. लाख में)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति उपहार	अन्य सामान भत्ता/ दीर्घ सेवा पुरस्कार एवार्ड/एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	0.12	0.45	0.18	0.00	0.07
सेवा उपरांत लागत	0	0	0	0	0
ब्याज लागत	0	0	0	0	0
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	0.12	0.45	0.18	0.00	0.07

सारणी–5 संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति उपहार	अन्य
	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024
छूट दर					
0.50% की वृद्धि	(0.013)	(0.045)	(0.017)	-	(0.00)
0.50% की कमी	0.015	0.051	0.019	-	0.00
वेतन दर					
0.50% की वृद्धि	0.015	0.051	0.019	-	0.00
0.50% की कमी	(0.013)	(0.045)	(0.017)	-	(0.00)

अन्य प्रकटीकरण :

(राशि रु. लाख में)

विवरण	उपदान	अन्य सामान भत्ता/दीर्घ सेवा पुरस्कार एवार्ड/एफबीएस	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति उपहार
	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.12	0.45	0.18	0.00	0.07
बीमांकिक (लाभ/हानि)	0	0	0	0	0
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	0.12	0.45	0.18	0.00	0.07

12. कंपनी के पास माल एवं सेवा कर के प्रावधान के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा जीएसटी पोर्टल पर किया गया है, जिसका उपयोग भविष्य में जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन किया जाएगा और इसे लेखा बहियों में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

13. अनुपात विश्लेषण :

क्र. सं.	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण
				31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.89	2.07	-57.00%	चूंकि कंपनी निर्माण चरण में है और प्रचालन अभी शुरू होना बाकी है
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	0.78	0.00	0.00%	चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान मेसर्स आरईसीएल से ₹2900.00 लाख का ऋण लिया है।
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ + ऋण पर ब्याज + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + आपदात्मक मद)	(ऋण पर ब्याज+ पट्टा भुगतान+ दीर्घकालिक ऋण की चुकौती)	-0.70	0.00	0.00%	चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान मेसर्स आरईसीएल से ₹2900.00 लाख का ऋण लिया है।
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	-0.02%	-0.88%	-97.73%	चूंकि कंपनी निर्माण चरण में है और प्रचालन अभी शुरू होना बाकी है
ङ	इन्वैंटरी टर्नओवर अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	औसत इन्वैंट्री	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
च	ऋणदाता टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व (निवल क्रेडिट बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट लाभ	औसत व्यापार देय	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष 31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	निवल बिक्री	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर–पूर्व आय	नियोजित पूंजी	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं
ट	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	0.00	0.00	0.00%	लागू नहीं

14. चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को, आवश्यकता पड़ने पर, पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

15. इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 09.05.2024 को अधिकृत कर दिया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(आर के विश्नोई)
अध्यक्ष
डीआईएन:08534217

ह0/–
(मनोज सरदाना)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह0/–
(मृदुल दुबे)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(हिमांशु बाजपेयी)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या 53310

दिनांक: 11.05.2024
स्थान: ऋषिकेश/लखनऊ

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन006792C
ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता संख्या:–074602

दिनांक: 13.05.2024
स्थान: लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण टुस्को लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार टुस्को लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट तुलनपत्र, और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति (वित्तीय स्थिति), उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए इसकी हानि (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया

जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है।हमनेः

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।

- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की।कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है।यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

  हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

  हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') में यथाअपेक्षित, लागू सीमा तक, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण **अनुलग्नक "क"** में दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत यथाअपेक्षित, हमने, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और विनिर्दिष्ट मामलों के आधार पर एक विवरण **अनुलग्नक "ख"** में दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं किः–

   (क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (E) के अनुसरण में, निदेशकों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करने के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक "ग"** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) चूंकि, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.–463(E) के संदर्भ में कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर ऐसा कोई लंबित मुकदमा नहीं है, जिसके लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रभाव निर्दिष्ट किया जाना हो।

ii. कंपनी की डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घकालिक संविदा नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि, यदि कोई हो, का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

iv. क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ख. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और

यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, अभिलेख प्रतिधारण के लिए सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के परिरक्षण के संबंध में कंपनी पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(g) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

कृते मैसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 006792C)

ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. 074602
यूडीआईएन: 24074602BKCIYD

दिनांक : 13.05.2024
स्थान : लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित

कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार,

1) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(ख) प्रबंधन द्वारा उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का चरणबद्ध रीति में भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है।इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया।

(ग) पट्टे पर ली गई और वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में प्रकट की गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी के नाम पर कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोगाधिकार परिसंपत्ति सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

2) (क) लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई मालसूची नहीं है।तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के तहत रिपोर्टिंग के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

3) कंपनी ने न तो किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी या किसी अन्य पक्षकार में निवेश किया है और न ही इन्हें कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है अथवा न ही प्रतिभूत या अप्रतिभूत की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है और अतः आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए न तो कोई ऋण दिया है या न ही निवेश किया है या न ही गारंटी और प्रतिभूति दी है।

5) कंपनी ने किसी भी जमाराशि या जमा के रूप में मानी जाने वाली किसी धनराशि को स्वीकार नहीं किया है।अतः, आदेश के खंड 3(अ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

6) हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डो के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा बनाई गई लेखा–बहियों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखाओं को तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है।

7) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा लेखा–बहियों और रिकॉर्डो की जांच के आधार पर, कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकरण और अन्य किसी महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित संविधिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2024 को देय नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, किसी विवाद के कारण कोई आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क बकाया नहीं हैं।

8) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

9) (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है।इसलिए आदेश के खंड 3 (ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, तथा हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं, तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी ने अपने सहयोगी के दायित्व को पूरा करने के लिए या उसके कारण किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है। कंपनी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

(च) कंपनी ने अपने सहयोगी में रखी गई प्रतिभूतियों के आधार पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं जुटाया है। कंपनी की कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

10) (क) मेरी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धनराशि नहीं जुटाई और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

11) (क) लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दायर नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की लेखाबहियों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ xi (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

12) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) (क, ख और ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13) मेरी राय में, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेन–देन अधिनियम की धारा 188, जहाँ लागू हो, के अनुपालन में हैं और लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में अपेक्षित विवरण का प्रकटीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, मेरी राय में, कंपनी को अधिनियम की धारा 177 के तहत लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

14) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 138 के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली रखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि बेहतर प्रबंधन और सुशासन के उद्देश्य से, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स जितेंद्र अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है, और परिणामस्वरूप, आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन किया गया है।

15) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

16) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर:

(क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी समय–समय पर संशोधित कोर निवेश कंपनियां (निर्देश), 2016 में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (जिसे आगे ''सीआईसी'' कहा जाएगा) नहीं है और इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। और

(घ) हमारी राय में और प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित है) और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi)(d) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

17) लेखा बहियों की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा में शामिल चालू वित्त वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में क्रमशः रु. 73.91 लाख और रु. 37.79 लाख की नकद हानि हुई है।

18) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

19) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजेइंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में मेरी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

20) मुझे प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ अधिनियम की धारा 135(1) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

21) 21. आदेश के खंड 3 (xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के अंतर्गत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते मैसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(**एफआरएन:** 006792C)
ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. 074602
यूडीआईएन: 24074602BKCIYD

दिनांक : 13.05.2024
स्थान : **लखनऊ**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ख"

उसी तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. **क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रौसेस करने की प्रणाली मौजूद है। यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।**

   कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली है। कंपनी होल्डिंग टीएचडीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए एफएमएस (वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के सॉफ्टवेयर पर वित्तीय विवरण तैयार करती है।

2. **क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है तो ये निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होते हैं)**

   लेखा परीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान सामान्यत: ऋण/उधार/ब्याज आदि के संबंध में किसी छूट/बट्टा का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है।

3. **क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों या इनकी एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन/उपयोग उचित रुप से इनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें?**

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी को सौर पार्को और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 600 मेगावाट ललितपुर सौर पावर पार्क के लिए भूमि की 50 प्रतिशत भूमि के अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुदान के रूप में ₹2400 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान इसके प्रमोटरों से इक्विटी पूंजी के रूप में ₹130.00 लाख की निधियां प्राप्त हुई हैं, जिनका उचित लेखांकन किया गया है और परियोजना के लिए उपयोग किया जा रहा है।

"अनुलग्नक ग"

टुस्को लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की समदिनांकित रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टुस्को लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2024 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, मेरी/हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) और लेखांकन के मानक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक

नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी प्रतिकूल लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा त वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें। (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि लोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया हैय तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाने के लिए संगत आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2024 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

कृते मैसर्स जॉय मुखर्जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 006792C)
ह0/–
(सीए जे. मुखर्जी)
साझेदार
सदस्यता सं. 074602

दिनांक : 13.05.2024
स्थान : **लखनऊ**

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 06.06.2024

सेवा में,

अध्यक्ष,

टुस्को लिमिटेड,

लखनऊ।

विषयः 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टुस्को लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाएं।

भवदीय

ह०/–

(संजय कु. झा)

महानिदेशक

संलग्नक: यथोपरि।

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

टुस्को लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टुस्को लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 13.05.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टुस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से
ह०/–
(संजय के. झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा),

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06.06.2024

नोटस

10KM MARATHON WALK 3.0
TIME: 07:00 AM
START
600MW ULTRA MEGA SOLAR POWER PARK TUSCO LIMITED, LALITPUR

प्रदेश सरकार

टुस्को लिमिटेड
TUSCO LIMITED

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं यूपीनेडा का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of THDC India Limited & UPNEDA)
(CIN : U40106UP2020GOI134504)

पंजीकृत कार्यालय : चौथी मंजिल, यूपीनेडा भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (यू.पी.), फोन : 0522–3515962

Regd. Office : 4th Floor, UPNEDA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.), Ph.: 0522- 3515962

speedways46@gmail.com